पेपर 4: कराधान

खंड A: आयकर

भाग I: वैधानिक अपडेट

आयकर कानून जिसे वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित किया जिसमें 30 अप्रैल, 2018 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना/परिपत्र सम्मिलिति है नवम्बर, 2018 परीक्षा के लिए लागू है। नवम्बर, 2018 के लिए प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष 2018–18 है। नवम्बर, 2018 के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना/परिपत्र परन्तु अध्ययन सामग्री का जुलाई 2017 में कवर नहीं को नीचे दिया गया हैः

अध्याय 2: आवास तथा कुल आय का स्कोप

एक भारतीय बैंक में रखे गए अनिवासी बाहरी खाते (NRE) में पारिश्रमिक को प्राप्त करने वाले अप्रवासी नाविक की भारत में आयकर का दायित्व के संबंध में स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 13/2017, दिनांक 11.04.2017 तथा परिपत्र संख्या 17/2017, दिनांक 26.04.2017]

अनिवासी नाविक द्वारा ऑन बोर्ड विदेशी जहाज पर भारत से बाहर प्रदान सेवा के लिए प्राप्त वेतन के जरिये आय भारत में कर योग्य है कारण है कि वेतन को नाविक द्वारा भारत में रखे अनिवासी बाहरी खाते में प्राप्त किया गया है। इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर CBDT ने मामला का परीक्षण किया। यह नोट किया कि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 5(2)(a) यह प्रावधान करता है कि अनिवासी की इस प्रकार की आय भारत में कर योग्य होगी जिसे या तो भारत में प्राप्त किया है भारत में प्राप्त माना गया है।

तदनुसार् CBDT ने इस परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि विदेश जाने वाले जहाज (भारतीय झंडा अथवा विदेशी झंडा के साथ) पर भारत से बाहर प्रदान सेवा के लिए अनिवासी नाविक को उपार्जित वेतन को वेतन में केवल इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया जायेगा कि उक्त वेतन को नाविक द्वारा भारतीय बैंक में रखे अनिवासी बाहरी खाते में क्रेडिट किया गया है।

अध्याय 4: आय का शीर्ष
यूनिट IV: पूंजीगत लाभ

धारा 54EC के अन्तर्गत विमुक्ति का दावा करने के उद्देश्य के लिए अधिसूचित दीर्घकालीन निर्दिष्ट सम्पत्ति [अधिसूचना संख्या 47/2017, दिनांक 08.06.2017 तथा अधिसूचना संख्या 79/2017, dated 08.08.2017]

धारा 54EC दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के अंतरण से पूंजी लाभ के प्रभार से विमुक्ति प्रदान करता है जहां पर करनिर्धारी ने एक दीर्घकालीन निर्दिष्ट सम्पत्ति में समस्त अथवा पूंजी लाभ के किसी भाग को निवेशित किया है। धारा 54EC के स्पष्टीकरण वाक्य (ba) के अनुसार "दीर्घकालीन निर्दिष्ट सम्पत्ति" का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (RECL) अथवा इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य बांड के द्वारा 01.04.2017 को अथवा उसके पश्चात् जारी तथा तीन वर्षों के पश्चात् विमोचनयोग्य बांड से है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

तदानुसार्, केंद्रीय सरकार ने इन अधिसूचना के जरिये 15.06.2017 को अथवा उसके पश्चात् Power Finance Corporation Limited अथवा 08.08.2017 को अथवा उसके पश्चात् Indian Railway Finance Corporation Limited द्वारा जारी तथा तीन वर्षों के पश्चात् विमोचनयोग्य बांड को दीर्घकालीन निर्दिष्ट बांड के रूप में अधिसूचित किया।

अध्याय 4: आय का शीर्ष
यूनिट V: अन्य स्रोत से आय

धारा 2(22)(e) के अन्तर्गत व्यापार अग्रिम को 'माना गया लाभांश' ना मानने के संबंध में स्पष्टीकरण – [परिपत्र संख्या 19/2017, दिनांक 12.06.2017]

धारा 2(22)(e) प्रदान करता है "लाभांश" में ऐसा भुगतान शामिल है जो एक कम्पनी जिसमें जनता का सारवान नहीं है एक अंश धारक, जो मताधिकार का कम से कम 10% अंशों का हितग्राही स्वामी है अथवा कोई संस्था जिसमें इस प्रकार का अंशधारक एक सदस्य अथवा एक साझेदार है तथा जिसमें उसका पर्याप्त हित है, को अग्रिम अथवा ऋण के जरिये किसी राशि का भुगतान करती है अथवा इस प्रकार के अंशधारक को व्यक्तिगत लाभ के लिए अथवा की तरफ से कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाता है जिस हद तक कम्पनी किसी मामले में संग्रहित लाभ को समाहित करती है।

CBDT ने अवलोकित किया है कि कुछ न्यायालयों ने विगत में निर्णय किया है कि वाणिज्यिक सौदों की प्रकृति में व्यापारिक अग्रिम धारा 2(22)(e) की प्रावधान की परिधि के अंदर नहीं आते तथा इस प्रकार के मत ने अंतिम स्वरूप ले लिया है।

उपरोक्त मत में, CBDT ने अपने परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि यह निपटायी स्थिति है कि व्यापारिक अग्रिम जो वाणिज्यिक सौदों की प्रकृति में है, धारा 2(22)(e) में शब्द 'अग्रिम की परिधि के अंदर नहीं आयेगा तथा इसलिए इसे 'माना गया लाभांश' के रूप में नहीं माना जायेगा।

अध्याय 7: सकल कुल आय से कटौती

धारा 80D के उद्देश्य के लिए अधिसूचित अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना [अधिसूचना संख्या 9/2018 दिनांक 16-2-2018]

धारा 80D के अन्तर्गत स्वयं, जीवन साथी तथा आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा को जारी रखने के लिए भुगतान प्रीमियम अथवा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा इस प्रकार की अन्य स्वास्थ्य योजना जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया है में किए गए किसी अंशदान के संबंध में ` 25,000 (निवासी वरिष्ठ नागरिक के मामले में `30,000 की हद तक कटौती की आज्ञा है)।

तदानुसार् केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना के जरिये अनु उर्जा का विभाग की अंशदायक स्वास्थ्य सेवा योजना को अधिसूचित किया जिसमें अंशदान जो धारा 80D के अन्तर्गत कटौती के लिए अहर्ता प्राप्त करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय 9: अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती

अव्यस्क बच्चे को उपार्जित ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती जहां दोनों माता–पिता की मृत्यु हो गयी हो **[अधिसूचना संख्या 05/2017, दिनांक 29.05.2017]**

आयकर नियम, 1962 का नियम 31A(5) के अन्तर्गत, आयकर महानिदेशक (सिस्टम) विवरण का जमा करने तथा सत्यापन के उद्देश्य के लिए प्रक्रिया, फॉर्मेट तथा मानक को निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत है तथा इस प्रकार निर्दिष्ट तरीके में विवरण को जमा करने तथा सत्यापन के संबंध में दिन–प्रतिदिन का प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

आयकर महानिदेशक (सिस्टम) ने CBDT द्वारा प्रदत्त अधिकार के उपयोग में नियम 31A(5) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया है कि जहां पर दोनों माता–पिता की मृत्यु हो गयी है, अव्यस्क को उपार्जित ब्याज आय पर अव्यस्क बच्चे का PAN के विरूद्ध स्रोत पर कर कटौती कटौती करने तथा प्रतिवेदित करने की आवश्यकता है जब तक नियम, 37BA(2) के अन्तर्गत एक घोषणा ना फाइल कर दी हो कि कटौती का क्रेडिट किसी अन्य व्यक्ति को दिया जायेगा।

पूंजीगत लाभ खाता योजना के अन्तर्गत किये गए जमा पर ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती जहां पर जमाकर्ता की मृत्यु हो गयी हो – अधिसूचना संख्या 08/2017, दिनांक 13.09.2017

प्रमुख महानिदेशक आयकर (सिस्टम) ने इस अधिसूचना के जरिये नियम 31A(5) के अन्तर्गत CBDT द्वारा प्रदत्त सौदे अधिकार के उपयोग में निर्दिष्ट किया है कि पूंजी लाभ खाता योजना के अन्तर्गत जमा के मामले में जहां पर जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है:

(i) जमाकर्ता की मृत्यु की अवधि तक तथा के लिए उपार्जित ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती है तथा जमाकर्ता का PAN के विरूद्ध रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, तथा

(ii) जमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात् की अवधि के लिए उपार्जित ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती तथा कानूनी वारिस के विरूद्ध प्रतिवेदित करने की आवश्यकता है।

जब तक नियम 37BA(2) के अन्तर्गत घोषणा को फाइल ना किया हो कि कर कटौती के लिए क्रेडिट एक अन्य व्यक्ति को दिया है।

एक एअरलाइन द्वारा हवाई जहाज परिचालक को यात्री सेवा शुल्क के प्रेषण पर धारा, 194-I के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता नहीं है [परिपत्र संख्या 21/2017, दिनांक 12.06.2017]

धारा 194-I के तहत किराया के रूप में एक निवासी को भुगतानयोग्य किसी आय पर निर्दिष्ट प्रतिशत से स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता है इस धारा के स्पष्टीकरण द्वारा शब्द "किराया को (a) भूमि; अथवा (b) भवन, अथवा (c) एक भवन से जुड़ी जमीन, अथवा (d) मशीनरी; (e) प्लांट; (f) यंत्र (g) फर्नीचर; अथवा (h) फिटिंग, चाहे कोई अथवा सभी प्राप्तकर्ता के स्वामित्व में है अथवा नही, के किसी उपयोग के लिए किसी पट्टा, उप–पट्टा, किरायेदारी अथवा किसी अन्य समझौते अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी नाम से भुगतान के रूप में परिभाषित किया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

किराया के रूप में अहर्ता के लिए किसी भुगतान की प्राथमिक आवश्यकता है कि भुगतान जमीन तथा भवन के उपयोग के लिए होना चाहिए तथा अन्य सुविधाओं तथा सेवाओं को प्रदान करने के लिए उसका केवल सांयोजिक/अल्प/महत्वहीन उपयोग धारा 194-I को आकर्षिक करने के लिए जमीन तथा भवन के उपयोग के लिए भुगतान नहीं बनायेगा।

तदानुसार् CBDT ने इस परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि धारा 194-I के प्रावधान हवाई अड्डा परिचालक का एक एअरलाइन द्वारा यात्री सेवा शुल्क का भुगतान पर लागू नहीं होगा।

निवासी को किये भुगतान में वस्तु तथा सेवा कर (GST) के भाग को शामिल कर स्रोत पर कर कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 23/2017 दिनांक 19.07.2017]

CBDT ने परिपत्र संख्या 1/2014 दिनांक 13.01.2014 के जरिये स्पष्ट किया है कि जहां पर भुगतान प्राप्तकर्ता तथा भुगतानकर्ता के मध्य समझौता अथवा संविदा के संदर्भ में एक निवासी को भुगतानयोग्य राशि में सेवा कर के अवयव के शामिल भाग का पृथक् रूप से दिखाया दिया जाता है, इस प्रकार के सेवा कर हिस्से को सम्मिलित किये बिना भुगतान अथवा भुगतानयोग्य राशि पर स्रोत पर कर कटौती की जायेगी।

01.07.2017 के प्रभाव से GST व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा का कराधान के लिए नये सिस्टम के साथ उसी उपचार को समरूप करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि जहां पर भी भुगतानकर्ता तथा भुगतान प्राप्तकर्ता के मध्य समझौते अथवा संविदा के संदर्भ में, एक निवासी को भुगतानयोग्य राशि में शामिल 'सेवा पर GST' का घटक को पृथक् रूप से दिखाया जाता है, इस प्रकार 'सेवा पर GST' घटक को सम्मिलित किये बिना भुगतान अथवा भुगतानयोग्य राशि पर स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

GST में एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (IGST), केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर (CGST) राज्य तथा वस्तु सेवा कर तथा केंद्र शासित प्रदेश वस्तु तथा सेवा कर सम्मिलित है।

आगे, इस परिपत्र के उद्देश्य के लिए, 01.07.2017 से पहले प्रविष्ट विद्यमान समझौते अथवा संविदा में "सेवा कर" के संदर्भ को 01.07.2017 से इस प्रकार का समझौता अथवा संविदा की समाप्ति तक की अवधि के संबंध में 'सेवा पर GST' माना जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान धारा 192 के अन्तर्गत वेतन से आयकर कटौती पर मार्गदर्शन [परिपत्र संख्या 29/2017, दिनांक 05-12-2017]

CBDT परिपत्र वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय के भुगतान से आयकर की कटौती के लिए दर को समाहित करता है तथा आयकर अधिनियम, 1961 तथा आयकर नियम, 1962 के कुछ प्रावधान को स्पष्ट करता है जिसमें वेतन से TDS की वृहत्त योजना, वेतन से स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा उसके कर्तव्य, शीर्ष 'वेतन; इत्यादि के अन्तर्गत गणना सम्मिलित है।

छात्र निम्न लिंक का उपयोग के द्वारा इस परिपत्र को पढ़े/डाउन लोड कर सकते है। - https://www.incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular29_2017.pdf

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय 10: आय की विवरणी को जमा करने और स्वयं कर निर्धारण के लिए प्रावधान

व्यक्ति जिन्हें आय की विवरणी में तथा PAN का आबंटन के लिए आवेदन पत्र में आधार संख्या अथवा इनरोलमेंट संख्या का उद्धरण करने की आवश्यकता नहीं है [अधिसूचना संख्या 37/2017 दिनांक 11.05.2017]

धारा 139AA प्रत्येक व्यक्ति को जो आधार संख्या को प्राप्त करने के लिए पात्र है अपनी आय की विवरणी तथा PAN का आबंटन के लिए आवेदन फॉर्म में, 1 जुलाई 2017 को अथवा उसके पश्चात्, अनिवार्य रूप से आधार संख्या अथवा आधार आवेदन फॉर्म का इनरोलमेंट ID अंकित करेगा। यद्यपि यह प्रावधान ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणी अथव राज्य अथवा राज्य के किसी भाग पर लागू नहीं होगा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया है।

तदनुसार् केंद्रीय सरकार ने 01.07.2017 से प्रभावी इस अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया है कि आधार संख्या का उद्धरण से संबंधित धारा 139AA के प्रावधान एक व्यक्ति पर लागू नही होगे जिसके पास आधार संख्या अथवा इनरोलमेंट ID नहीं है तथा हैः

(i) आसाम, जम्मू तथा कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी;

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी;

(iii) गत वर्ष के दौरान किसी समय 80 वर्ष अथवा अधिक की आयु वाले;

(iv) भारत का नागरिक नहीं है।

करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए अधिसूचित आयकर विवरणी फॉर्म [अधिसूचना संख्या 16/2018, दिनांक 3-4-2018]

CBDT ने अधिसूचना के जरिये करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए आयकर विवरणी फॉर्म को अधिसूचित किया है। ITR फॉर्म तथा इसके लागू होने का विवरण नीचे दिया हैः

ITR फॉर्म संख्या	लागू होना
1	एक व्यक्ति जो असाधारण निवासी के अतिरिक्त निवासी है जिसकी वेतन, एक गृह सम्पत्ति, अन्य स्रोत से आय (ब्याज इत्यादि) से आय है तथा कुल आय ` 50 लाख तक है, के द्वारा एक पृष्ठ का सरलीकृत ITR/(सहज) को भरा जा सकता है।
2	व्यक्ति तथा हिंदु अविभक्त परिवार जिनकी व्यापार अथवा पेशे से आय नहीं है ITR 2 को फाइल करने के लिए पात्र है।
3	शीर्ष 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत आय वाले व्यक्ति तथा हिंदु अविभक्त परिवार ITR 3 फाइल करेगें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4	ITR 4 (सुगम) का उपयोग व्यापार अथवा पेशे से प्रकल्पित आय वाले पात्र करनिर्धारी द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, शीर्ष व्यापार अथवा 'पेशे से लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत धारा 44AD, 44ADA अथवा 44AE के अन्तर्गत केवल प्रकल्पित आय वाले पात्र करनिर्धारी को ITR 4 में विवरणी को फाइल करना होगा इसके अतिरिक्त, उनकी वेतन आय, गृह सम्पत्ति से आय तथा अन्य स्रोत से आय हो सकती है। लॉटरी से जीत तथा घुड़दौड़ से आय, धारा 115BBA के अन्तर्गत करयोग्य आय तथा धारा 115BBE में संदर्भित प्रकृति की आय को छोड़कर)। कोई व्यक्ति जिसकी ` 5000 से अधिक कृषि आय है ITR 4 का उपयोग नहीं कर सकता आगे, धारा 90, 90A अथवा 91 के अन्तर्गत भुगतान विदेशी कर की राहत का दावा करने वाला एक व्यक्ति इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकता। साथ में, इस फॉर्म को भारत से बाहर स्थित किसी सम्पत्ति (किसी इकाई में वित्तीय हित सहित) अथवा भारत से बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी तथा भारत से बाहर किसी स्रोत से आय वाला निवासी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
5	ITR 5 को व्यक्ति, हिंदु अविभक्त परिवार, कम्पनी तथा अन्य व्यक्ति जो ITR 7 दाखिल न करते हों, के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
6	ITR 6 को धारा 11 के अन्तर्गत विमुक्ति का दावा करने वाली कम्पनी के अतिरिक्त कम्पनी द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है।
7	ITR 7 को धारा 139(4A) अथवा 139(4B) अथवा 139(4C) अथवा 139(4D) अथवा 139(4E) अथवा 139(4F) के अन्तर्गत विवरणी को जमा करने के लिए आवश्यक कम्पनियों सहित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है।

सभी इन ITR फॉर्म को इलैक्ट्रोनिकली को फाइल करना होगा हलांकि, जहां पर विवरणी को ITR फॉर्म (सहज) अथवा ITR-4 सुगम में जमा किया जाना है, निम्न व्यक्तियों को पेपर फार्म में विवरणी को फाइल करने का विकल्प है:

(i) गत वर्ष के दौरान किसी समय 80 वर्ष अथवा अधिक आयु का एक व्यक्ति; अथवा

(ii) एक व्यक्ति अथवा हिंदु अविभक्त परिवार जिसकी आय ` 5 लाख से अधिक नहीं तथा आय की विवरणी में किसी वापसी का दावा नहीं किया।

कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम 2006 में संशोधन जैसा धारा 139B के अन्तर्गत अधिसूचित किया [अधिसूचना संख्या 4/2018, दिनाक 19-01-2018]

धारा 139B प्रदान करता है कि आय की विवरणी को तैयार करने तथा जमा करने के लिए व्यक्तियों की श्रेणी अथवा किसी निर्दिष्ट श्रेणी को समर्थ करने के उद्देश्य से, CBDT धारा 139 के प्रावधानों के तहत बिना किसी पूर्वाग्रह के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक योजना बनायेगी जिसमें यह प्रावधान होगा कि ऐसे व्यक्ति इसयोजना के अन्तर्गत इस प्राधिकृत एक विवरणी तैयारकर्ता (TRP) के जरिये आय की विवरणी को जमा करवा सकते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

तदनुसार, अधिसूचना संख्या 358/2006 दिनांक 28.11.2006, के जरिये CBDT ने "कर विवरणी तैयारकर्ता योजना 2006 को अधिसूचित किया। बाद में, उक्त योजना में अधिसूचना संख्या 84/2010 दिनांक 22.11.2010 के जरिये संशोधन किया। इस अधिसूचना के जरिये, उक्त योजना को आगे संशोधित किया ताकि योजना के स्कोप को बढ़ाया जा सके। संशोधित भाग को नीचे द्वितीय कॉलम में **bold italics** में दिया है:

विवरण	विषय वस्तु
योजना को लागू करना	योजना सभी पात्र व्यक्तियों पर लागू है
पात्र व्यक्ति	एक व्यक्ति अथवा एक हिंदु अविभक्त परिवार
कर विवरणी तैयारकर्ता	कोई व्यक्ति जिसे इस योजना के अनुसार आय की विवरणी को तैयार करने के पेशे को चलाने के लिए साझेदार संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 'कर विवरणी तैयारकर्ता प्रमाणपत्र' तथा 'अनुपम पहचान संख्या' को जारी किया गया। यद्यपि, निम्न व्यक्ति TRP की कार्यवाही करने के लिए हकदार नहीं है: (i) एक अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी जिसके साथ करनिर्धारी चालू खाता बनाये रखता है अथवा नियमित डीलिंग करता है। (ii) कोई कानूनी व्यवहारकर्ता जो भारत में किसी दिवानी न्यायालय में प्रैक्टिस में हकदार है। (iii) एक लेखांकक।
कर विवरणी तैयारकर्ता की शैक्षणिक योग्यता	***एक व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री को धारित करता है अथवा जिसने भारतीय सनदी लेखांकक संस्थान अथवा भारतीय कम्पनी संचिव संस्थान अथवा भारतीय लागत लेखांकन संस्थान के द्वारा परिचालित इंटर की परीक्षा को पारित किया, TRP के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा।***
TRP द्वारा आय की विवरणी की तैयारी तथा जमा करना	एक पात्र व्यक्ति अपने विकल्प पर एक TRP के जरिये तैयार करवा कर कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के अन्तर्गत आय की विवरणी को जमा कर सकते है: यद्यपि, निम्न पात्र व्यक्ति (एक व्यक्ति तथा HUF) एक TRP के जरिये एक करनिर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी को जमा नहीं कर सकते: (i) जो गत वर्ष के दौरान व्यापार अथवा पेशे को चला रहे है तथा उस गत वर्ष के लिए व्यापार अथवा पेशे के खातों का उस समय प्रभावी किसी अन्य कानून अथवा धारा 44AB के अन्तर्गत अंकेक्षण आवश्यक है; अथवा

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(ii) जो गत वर्ष के दौरान भारत में निवासी नहीं है। एक पात्र व्यक्ति एक TRP के जरिये किसी करनिर्धारण वर्ष के लिए आय की पुनरीक्षित विवरणी को TRP के जरिये जमा नहीं कर सकता जब तक उसने इस प्रकार अथवा किसी अन्य TRP के लिए आय की मूल विवरणी को जमा नहीं किया। आगे, एक विवरणी जिसे धारा 142(1)(i) के अन्तर्गत अथवा धारा 148 के अन्तर्गत अथवा धारा 153A के अन्तर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में जमा करना है, को TRP के जरिये तैयार अथवा जमा नहीं किया जासकता।

नोट– *उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचित उपदान की सीमा को 29.03.2018 के प्रभाव से सीमा को ` 10 लाख से बढ़ाकर ` 20 लाख कर दिया गया।*

भाग II: प्रश्न तथा उत्तर

प्रश्न

1. भारत में मानव संसाधन मंत्रालय में कार्यरत भारत के नागरिक श्री साहिल का 15 मार्च 2017 को जर्मनी की भारतीय राज दूतावास में स्थानांतरण हो गया। उसकी वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आय को नीचे दिया गया है:

विवरण	`
आस्ट्रेलिया में स्थित एक घर जिसे आस्ट्रेलिया में प्राप्त किया किराया। बाद में उसे भारतीय बैंक खाता में प्रेषित किया	4,80,000
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर उपार्जित ब्याज	25,600
डाक कार्यालय बैंक खाता पर ब्याज	3,200
भारत सरकार से वेतन	8,15,000
भारत सरकार से विदेशी भत्ता	9,00,000

श्री साहिल वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान भारत नहीं आया। करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए सकल कुल आय की गणना करें।

2. श्री चरण धान उगाता है तथा उसका प्रयोग अपनी चावल मिल में चावल का उत्पादन करने के लिए करता है। उसने वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्न विवरण को प्रस्तुत किया:

   - धान उत्पाद का 40% की बुआई की लागत ` 9,00,000 है जिसे ` 18,50,000 में बेचा।
   - धान के शेष 60% की बुआई की लागत ` 14,40,000 है तथा इस प्रकार के धान का

© The Institute of Chartered Accountants of India

बाजार मूल्य ` 28,60,000 है।

- शेष (60%) धान की उत्पादन प्रक्रिया पर ` 3,60,000 व्यय किया। चावल को `38,00,000 में बेचा।

करनिर्धारण वर्ष 2018–19 की चरण की व्यापार आय तथा कृषि आय की गणना करें।

3. आपको वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित निम्न विवरण से करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री नरायण के हाथों में शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना करनी है:

विवरण	`
मूल वेतन	7,20,000
महंगाई भत्ता	3,60,000
कमीशन	60,000
मनोरंजन भत्ता	7,500
नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति चिकित्सा व्यय	25,000
पेशेवर कर (इसमें 30% का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया)	3,000
नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	9,000
नियोक्ता द्वारा उसके जन्म दिवस पर दिया उपहार वाउचर	15,000
नियोक्ता द्वारा नारायण का जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	42,000
घर पर उपयोग के लिए प्रदान लेपटाप/नियोक्ता को लेपटाप की वास्तविक लागत [करनिर्धारी का बच्चे भी घर पर लेपटाप का उपयोग करते है]	45,000
नियोक्ता कम्पनी के पास मोटर कार है जिसे करनिर्धारी को कार्यालय तथा व्यक्तिगत उपयोग दोनों के लिए प्रदान किया गया है। सभी मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय की पूर्णतः नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही है। चालक प्रदान नहीं किया गया (इंजन की क्यूविक क्षमता 1.6 लीटर से कम है)	
नियोक्ता द्वारा भुगतान वार्षिक क्रेडिट कार्ड फीस (क्रेडिट कार्ड को एकनिष्ट रूप से कार्यालय के उपयोग के लिए प्रयुक्त नहीं किया)	5,000

4. श्री रंजन के स्वामित्व में एक दुकान है जिसका निर्माण अगस्त, 2016 में आरंभ हुआ। उसने 01.08.2015 को बैंक ऑफ बड़ौदा से `22 लाख का ऋण लिया। तथा 9% प्रति वर्ष की दर से गणित ब्याज का भुगतान कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान दुकान को `45,000 का वार्षिक किराया पर किराया पर दिया। उसने क्रमशः 25.05.2017 तथा 15.04.2018 को वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के लिए `18,000 प्रत्येक का पालिका कर का भुगतान किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री रंजन की शीर्ष 'गृह सम्पत्ति' के अन्तर्गत यह मानकर आय की गणना करें कि ऋण की समस्त राशि वर्तमान गत वर्ष की अंतिम दिवस को अदत्त है।

5. श्री चौहान का व्यापारिक व्यवसाय है तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उसका व्यापारिक तथा लाभ तथा हानि खाता निम्न है:

विवरण	राशि (`)	विवरण	राशि (`)
आरंभिक स्टांक	1,50,000	बिक्री	2,70,00,000
क्रय	2,49,00,000	अंतिम रहतिया	1,00,000
सकल लाभ	20,50,000		
योग	**2,71,00,000**	**योग**	**2,71,00,000**
कर्मचारियों को वेतन (भविष्य निधि में अंशदान सहित)	5,00,000	सकल लाभ	20,50,000
प्रधान मंत्री राहत निधि में दान	1,00,000		
अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	50,000		
कर्मचारियों को बोनस	50,000		
बैंक ऋण पर ब्याज	50,000		
कर्मचारियों पर परिवार नियोजन व्यय	20,000		
ह्रास	30,000		
आयकर	1,00,000		
शुद्ध लाभ	11,50,000		
योग	**20,50,000**	**योग**	**20,50,000**

अन्य सूचना:

(i) उसने ` 35,000 का फर्नीचर तथा फिक्सर पर व्यय किया जिसका उसने 25.07.2017 को M/s Décor World को नकद में भुगतान किया।

(ii) आयकर नियम, 1962 के अनुसार स्वीकार्य ह्रास ` 40,000 है [उपरोक्त (i) में संदर्भित फर्नीचर तथा फिक्सर पर ह्रास को छोड़कर]।

(iii) बैंक ऋण पर ब्याज के भुगतान पर स्रोत में कोई कटौती नहीं।

(iv) वेतन में से, `25,000 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसके अंशदान से संबंधित है जिसे आय की विवरणी को फाइल करने की देय तिथि के पश्चात् जमा किया। आगे, ` 25,000 का कर्मचारी का अंशदान को आय की विवरणी की देय तिथि के पश्चात् जमा किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री चड्ढाण की व्यापार आय की गणना करें।

6. श्री साहु ने ` 82,00,000 में 27.07.2017 को नई दिल्ली में स्थित अपने आवासीय गृह को बेचने के लिए देवांश के साथ समझौता किया। देवांश को 16.12.2017 को सम्पत्ति का गृहण सौपा गया तथा पंजीकरण प्रक्रिया को 24.02.2018 को पूर्ण किया गया।

श्री देवांश ने निम्न प्रकार से बिक्री राशि का भुगतान कियाः

(i) समझौते की तिथि को एकाउंट पेयी चैक के जरिये 25%।

(ii) सम्पत्ति का ग्रहण की तिथि पर 50%।

(iii) सम्पत्ति के पंजीकरण की पूर्णता के पश्चात् शेष।

27.07.2017 को स्टेम्प ड्यूटी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य ` 92,00,000 था जबकि 24.02.2018 को यह ` 94,50,000।

श्री साहू ने 01.04.2002 को ` 21,00,000 में सम्पत्ति को अधिगृहीत किया था। देवांश से बिक्री राशि की वसूली के पश्चात् उसने ` 35,00,000 में नवी मुंबई में एक अन्य आवासीय गृह क्रय किया।

वित्तीय वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीती सूचकांक

2001-02	-	100
2002-03	-	105
2017-18	-	272

करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री साहू की कुल आय की गणना कीजिए तथा उस वर्ष के लिए देय शुद्ध कर दायित्व/वापसी की गणना करें, यह मानकर कि उसने बचत बैंक खाता से ` 12,000 की आय अर्जित की तथा लाटरी से ` 84,000 (कर स्रोत से कटौती से शुद्ध) आय को प्राप्त किया। यह मानकर कि आवासीय गृह की बिक्री के लिए प्रतिफल पर स्रोत पर कटौतीयोग्य कर काट लिया गया।

7. (a) श्री प्रणव की TRP(P) Ltd. (खिलौने के व्यापार में लिप्त) में 15% अंश धारिता तथा एक साझेदारी फर्म Pranav& Sons में 50% का हिस्सा है। TRP(P) Ltd. का संग्रहीत लाभ ` 30 लाख है। Pranav& Sons ने TRP(P) Ltd. से ` 35 लाख का ऋण लिया है।

परीक्षण करें क्या उपरोक्त ऋण को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लाभांश माना जा सकता है।

(b) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता के हाथों में निम्न की करयोग्यता अथवा अन्यथा की चर्चा करें:

(i) एक क्लोजली हेल्ड कम्पनी MNS Private Limited ने ` 125 प्रति अंश पर 12000 अंशों को जारी किया। (अंशों का अंकित मूल्य ` 80 प्रति अंश तथा अंश का उचित बाजार मूल्य ` 110 प्रति अंश है)

(ii) श्री अरूण ने अपने घर के बिक्री के विरूद्ध 11.09.2017 को ` 56,000 का

© The Institute of Chartered Accountants of India

अग्रिम प्राप्त किया। यद्यपि, समय पर किश्त का भुगतान ना करने के कारण संविदा को निरस्त कर दिया तथा ` 56,000 की राशि को जब्त किया।

(iii) श्री नितिन ने अपने पुत्र श्री राज को बिना प्रतिफल के गृह सम्पत्ति को अंतरित किया। स्टॉम्प ड्यूटी के पंजीयक के अनुसार घर का मूल्य ` 12 लाख है।

(iv) श्री तन्मय ने अपनी बहन की पुत्री तनु को उसके विवाह पर रेफ्रीजरेटर उपहार के रूप में दिया। रेफ्रीजरेटर का उचित मूल्य `75,000 है।

8. सहर्ष ने 1 अप्रैल, 2017 को अपनी पत्नी संध्या को ` 12 लाख का उपहार दिया। संध्या ने छह माह के लिए 1 अप्रैल 2017 को उपहार राशि में से ` 6,00,000 उधार पर दिए जिससे उसने ` 60,000 का ब्याज प्राप्त किया। उसने ` 60,000 की उक्त राशि को 3 अक्टूबर 2017 में एक सूचीबद्ध कम्पनी के अंशों में निवेश किया। जिसे उसने 30 मार्च 2018 को उन्हें ` 85,000 में बेचा। इस प्रकार की बिक्री पर प्रतिभूति सौदा कर का भुगतान किया। उपहार की शेष राशि को संध्या द्वारा अपने नये व्यवसाय में पूंजी के रूप में निवेशित किया। उसने वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यापार से ` 25,000 की हानि को वहन किया।

किसके हाथों में करनिर्धारण वर्ष 2018–19 में उपरोक्त आय तथा हानि को सम्मिलित किया जायेगा। यह मानकर कि व्यापार में निवेशित समस्त पूंजी उसके पति द्वारा उपहार में दिये गये फंड में से है।

9. 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए दी गयी निम्न सूचना में से करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए कुल आय की गणना करे तथा आगे ले जाने के लिए पात्र मदों तथा उन्हें किसी करनिर्धारण वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है, को दिखाये:

विवरण	राशि (`)
शहरी जमीन की बिक्री से दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ	2,30,000
अंशों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजीगत हानि (प्रतिभूति सौदा कर का भुगतान नहीं)	85,000
मान्यता प्राप्त स्टांक इक्सचेंज में सूचीबद्ध अंशों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजीगत हानि (अधिग्रहण तथा बिक्री के समय प्रतिभूति सौदा कर का भुगतान किया)	1,02,000
सट्टा व्यापार X से हानि	25,000
सट्टा व्यापार Y से आय	15,000
धारा 35AD के अन्तर्गत कवर निर्दिष्ट व्यापार से हानि	40,000
वेतन से आय	3,50,000
गृह सम्पत्ति से हानि	2,20,000
व्यापारिक व्यवसाय से आय	75,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

गैर–अवशोषित ह्रास तथा आगे लायी हानि का विवरण निम्न है:

(1) करनिर्धारण वर्ष 2017–18 से संबंधित ` 11,000 का गैर–अवशोषित ह्रास।

(2) करनिर्धारण वर्ष 2017–18 से संबंधित धुड़दौड़ के स्वामित्व तथा अनुरक्षण से हानि ` 5,000।

(3) करनिर्धारण वर्ष 2014–15 से संबंधित ` 8,000 का ट्रेडिंग व्यापार से आगे लायी हानि।

10. श्री अन्य नोयडा में स्थित एक कारखाने में खिलौना का निर्माण करता है। करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए खिलौना के निर्माण से लाभ `1.85 करोड़ तथा उसकी कुल टर्नओवर ` 18.70 करोड़ है।

1 अप्रैल 2017 को उसके कारखाने में 100 कर्मचारी नियुक्त थे। उसके उत्पाद की मांग में वृद्धि के कारण उसने निम्न से मिलकर गत वर्ष के दौरान 140 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोजित किया:

(a) 15 अप्रैल 2017 से 31 जनवरी 2018 तक नियुक्त 15 अस्थिर कर्मचारियों को ` 22,000 प्रति माह का वेतन पर

(b) ` 22,000 प्रति माह का मासिक पारिश्रमिक पर 1 मई 2017 को नियुक्त 40 नियमित कर्मचारी

(c) ` 15,000 प्रति माह की मासिक पारिश्रमिक पर 2 वर्षों के लिए 1 जुलाई 2017 को नियुक्त ठेका पर 25 कर्मचारी

(d) ` 30,000 प्रति माह का मासिक पारिश्रमिक पर 1 अगस्त 2017 को नियुक्त 35 नियमित कर्मचारी

(e) ` 22,000 प्रति माह का मासिक पारिश्रमिक पर 1 अक्टूबर 2017 को नियुक्त 25 नियमित कर्मचारी

करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री अन्य को धारा 80JJA के अन्तर्गत कटौती (यदि उपलब्ध) है की गणना करें। यह मान ले कि मासिक पारिश्रमिक का भुगतान ECS के उपयोग द्वारा किया है। नियमित तथा ठेका पर कर्मचारी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में सहभागिता करते है। जबकि अस्थायी कर्मचारी नहीं।

क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि श्री अन्य कपड़े के पोशाक निर्माण में लिप्त है? परीक्षण करें;

*[**नोट–** पहले के गत वर्षों में रोजगार में कर्मचारियों के लिए श्री अन्य को धारा 80JJAA के अन्तर्गत उपलब्ध कटौती की राशि की अनदेखी करते हुए करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए 80JJA के अन्तर्गत कटौती की गणना करें।*

11. आपको एक निवासी व्यक्ति की अनूप की 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाता में दिखायी निम्न सूचना से करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए कुल आय तथा कर दायित्व की गणना करें:

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) शुद्ध लाभ ` 8,40,000 था।

(ii) लेखा की पुस्तकों में डेबिट ह्रास ` 1,05,000 था।

(iii) निम्न आय को लाभ तथा हानि खाता में क्रेडिट किया:

(a) अधिसूचित सरकारी प्रति भूतियों पर ब्याज ` 32,000

(b) एक विदेशी कम्पनी से लाभांश ` 28,000

(c) अपनी माता से उपहार के रूप में प्राप्त ` 78,000 के मूल्य की सोने की चेन।

(iv) नये प्लांट तथा मशीनरी के क्रय के लिए उधार ली `82,000 की पूंजी के संबंध में ऋण पर ब्याज के रूप में ` 8,20,000 का भुगतान किया। मशीनरी को 12 अप्रैल 2018 से उपयोग में लाया गया।

(v) सामान्य व्यय में सम्मिलित है:

(a) `18,500 का एक व्यय जिसका वाहक चैक द्वारा भुगतान किया।

(b) व्यापार यूनिट में सेवा की समाप्ति पर एक कर्मचारी को ` 4,500 की क्षतिपूर्ति का भुगतान।

अतिरिक्त सूचना:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार स्वीकार्य ह्रास ` 1,16,000 थी [उपरोक्त (iv) में संदर्भित नया प्लांट तथा मशीनरी पर ह्रास का विचार किये बिना]।

(2) उसने चैक द्वारा निम्न राशि का अंशदान किया:

(a) अव्यस्क पुत्री अन्या के नाम में सुकन्या स्मृद्धी योजना में ` 48,000।

(b) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में ` 23,000।

(c) स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम की तरफ ` 28,000 तथा स्वयं तथा पत्नी की रोकथाम स्वास्थ्य जांच के लिए ` 2,500।

(d) पिता आयु 82 वर्ष की चिकित्सा व्यय के कारण ` 35,000 (पिता के स्वास्थ्य पर किसी बीमा योजना को प्राप्त नहीं किया)।

12. एक बैंकिंग कम्पनी Shurya Bank Ltd. जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है ने एक निवासी भारतीय को लखनऊ शाखा से `7,000 तथा कानपुर शाखा से `8,000 का ब्याज का भुगतान किया। यदि बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्युशन को नहीं अपनाया तो क्या 31.3.2018 को किये इस प्रकार के ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती करनी होगी? इस संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का परीक्षण करें।

क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन को अपनाया?

© The Institute of Chartered Accountants of India

13. 52 वर्षीय श्री शिखर ने आपको निम्न सूचना प्रदान की तथा आपसे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए देय तिथि के साथ अग्रिम कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए प्रार्थना की।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुमानित करदायित्व	`85,000
इस वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती	`15,000

(i) क्या आपके उत्तर में बदलाव होगा यदि श्री शिखर धारा 44AD के अन्तर्गत प्रकल्पित कर प्रावधान के पात्र हैं तथा उन्होंने इसे अपनाया तथा उसका करदायित्व समस्त रूप से इस प्रकार की आय के कारण है (स्रोत पर कर कटौती की अनदेखी करें)?

(ii) आपका उत्तर क्या होगा यदि धारा 44AD के स्थान पर उसने धारा 44AE के अन्तर्गत वह प्रकल्पित कर प्रावधान के लिए पात्र है तथा इसको चुना है?

14. कब और किस दर से एक विक्रेता को मोटर वाहन की बिक्री पर स्त्रोत पर कर एकत्रित करने की आवश्यता होती है। साथ ही, चर्चा करें कि क्या मोटर वाहन निर्माताओं को डीलरों से स्त्रोत पर कर इकट्ठा करने की आवश्यकता है।

15. श्री अथर्व ने आंकलन वर्ष 2018–19 से संबंधित 30 सितम्बर, 2018 को आय की विवरणी दायर की। अक्टूबर, 2018 के महीने में उनके कर सलाहकार ने पाया कि सावधि जमा पर ब्याज कर रिटर्न में दिखाने से रह गया। क्या श्री अथर्व एक संशोधित विवरणी फाइल कर सकते हैं?

मानले कि उसके मामले में आय की विवरणी को जमा करने की तिथि 31 जुलाई 2018 थी तथा करनिर्धारण अक्टूबर 2018 के माह तक पूर्ण नहीं हुआ था।

सुझाए गए उत्तर

1. श्री साहिल करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए अनिवासी है क्योंकि वह गत वर्ष 2017–18 के दौरान किसी समय भारत में उपस्थित नहीं था [धारा 6(1)]।

धारा 5(2) के अनुसार एक अनिवासी केवल निम्न आय के संबंध में भारत में कर से वसूलीयोग्य है:

(i) भारत में प्राप्त अथवा भारत में प्राप्त मानी जाने वाली आय; तथा

(ii) भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न अथवा उपार्जित या उत्पन्न मानी जाने वाली आय।

© The Institute of Chartered Accountants of India

करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री साहिल की सकल कुल आय की गणना

विवरण	`
वेतन	
भारत सरकार से वेतन	8,15,000
(भारत से बाहर प्रदान सेवा के लिए भारतीय नागरिक को सरकार द्वारा भुगतान शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय धारा 9(1)(iii) के अन्तर्गत भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न मानी जाती है। अतः इस प्रकार की आय भारत के नागरिक श्री साहिल की हाथों में करयोग्य है चाहे वह निवासी है तथा भारत से बाहर सेवा को प्रदान कर रहा है।	
भारत सरकार से विदेशी भत्ता	शून्य
[भारत से बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत से बाहर भुगतान अथवा स्वीकृत कोई भत्ता अथवा अनुलाभ धारा 10(7) के अन्तर्गत विमुक्त है]।	
गृह सम्पत्ति से आय	
आस्ट्रेलिया से स्थित गृह से किराया आस्ट्रेलिया में प्राप्त	शून्य
(भारत से बाहर स्थित सम्पत्ति से आय एक अनिवासी के हाथों में भारत में करयोग्य नहीं होगा, क्योंकि ना तो यह भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न मानी जाती है, न ही इसे भारत में प्राप्त किया)	
अन्य स्रोत से आय	
राष्ट्रीय बचत पत्र पर उपार्जित ब्याज करयोग्य है[1]	25,600
डाक कार्यालय बचत बैंक खाता पर ब्याज – ` 3,500 तक विमुक्त	शून्य
सकल कुल आय	**8,40,600**

2. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री चरण की व्यापार आय तथा कृषि आय

विवरण	व्यापार आय	कृषि आय	
	`	`	`
चावल की बिक्री			

[1] यह माना गया है कि श्री साहिल लेखांकन का वाणिज्यिक सिस्टम का पाल करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

व्यापार आय			
चावल की बिक्री राशि	38,00,000		
घटा: धान की बाजार मूल्य (60%)	28,60,000		
घटा: निर्माणी व्यय	3,60,000		
	5,80,000		
कृषि आय			
धान का बाजार मूल्य (60%)		28,60,000	
घटा: बुआई की लागत		14,40,000	
			14,20,000
कृषि आय			
धान उत्पाद की बिक्री राशि (40%)		18,50,000	
घटायें: बुआई की लागत		9,00,000	
			9,50,000
			23,70,000

3. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री नारायण की शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना

विवरण	`
मूल वेतन	7,20,000
महंगाई भत्ता	3,60,000
कमीशन	60,000
मनोरंजन भत्ता	7,500
नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति चिकित्सा व्यय ` 15,000 की हद तक एक विमुक्त अनुलाभ है [धारा 17(2)] का उपबंध का वाक्य (v)। इसलिए ` 10,000 जो कि ` 15,000 के आधिक्य में प्रतिपूर्ति है, करयोग्य अनुलाभ है।	10,000
नियोक्ता द्वारा भुगतान पेशेवर कर धारा 17(2)(iv) के अनुसार एक करयोग्य अनुलाभ है क्योंकि यह कर्मचारी का दायित्व है जिसका नियोक्ता द्वारा भुगतान किया है।	1,500
नियोक्ता द्वारा भुगतान ` 9,000 का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम एक विमुक्त अनुलाभ है। [धारा 17(2) का उपबंध का वाक्य (iii)]	शून्य
श्री नारायण के जन्म दिवस पर नियोक्ता द्वारा दिया उपहार वाउचर (समस्त राशि करयोग्य है क्योंकि अनुलाभ मूल्य ` 5,000 से अधिक है)	15,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

(नियम 3(7)(iv) के अनुसार) **[नीचे नोट देखें]**	
नियोक्ता द्वारा भुगतान श्री नारायण के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान धारा 17(2)(v) के अनुसार करयोग्य अनुलाभ है।	42,000
घर पर उपयोग के लिए प्रदान लेपटाप नियम 3(7)(vii) के अनुसार विमुक्त अनुलाभ है।	शून्य
दोनों कार्यालय तथा व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा स्वामित्व मोटरकार का प्रावधनान (1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता से कम इंजन) नियम 3(2) के अनुसार मूल्य ` 21,600 [`1,800 ×12] होगा।	21,600
नियोक्ता द्वारा भुगतान वार्षिक क्रेडिट कार्ड नियम 3(7)(v) के अनुसार करयोग्य अनुलाभ है क्योंकि क्रेडिट कार्ड कार्यालय उद्देश्य के लिए एकनिष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं किया।	5,000
सकल वेतन	**12,42,600**
घटायें: **धारा 16 के अन्तर्गत कटौती**	
मनोरंजन भत्ता (धारा 16(ii) के अन्तर्गत कटौती स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श्री नारायण सरकारी कर्मचारी नहीं है)	शून्य
भुगतान पेशेवर कर धारा 16(iii) के अनुसार कटौती के रूप में स्वीकार्य है	3,000
शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय	**12,39,600**

नोटः *नियम 3(7)(iv) के अनुसार, नियोक्ता से विशेष अवसर पर अन्यथा पर कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त उपहार अथवा वाउचर का निर्धारण इस प्रकार के उपहार की राशि के बराबर किया जायेगा। यद्यपि, गत वर्ष के दौरान योग में ` 5,000 से कम कर्मचारी अथवा परिवार में सदस्य द्वारा प्राप्त किसी उपहार अथवा वाउचर का मूल्य नियम 3(7)(iv) का उपबंध के अनुसार विमुक्त होगा। इस मामले में `15,000 का उपहार वाउचर श्री नारायण द्वारा अपने नियोक्ता से जन्मदिवस के अवसर पर प्राप्त हुआ।*

क्योंकि उपहार वाउचर का मूल्य ` 5,000 से अधिक है `15,000 की समस्त राशि अनुलाभ के रूप में कर के लिए दायी है।

एक वैकल्पिक मत संभव है कि `5,000 से अधिक की राशि परिपत्र संख्या 15/2001 दिनांक 12.12.2001 का भाषा के मत में करयोग्य है जो वर्णित करता है कि योग में ` 5,000 तक इस प्रकार का उपहार विमुक्त होगा। इससे आगे यह अनुलाभ के रूप में कर लगाया जायेगा। इस मत के अनुसार अनुलाभ का मूल्य ` 10,000 होगा।

इस प्रकार के मामले में, सकल वेतन तथा शुद्ध वेतन क्रमशः ` 12,37,600 तथा ` 12,34,600 होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री रंजन की "गृह सम्पत्ति" के अन्तर्गत आय की गणना

विवरण	`	`
[2]सकल वार्षिक मूल्य (` 45,000 x 12)		5,40,000
घटा: पालिका कर **(वर्किंग नोट 1 देखें)**		18,000
शुद्ध वार्षिक मूल्य (NAV)		5,22,000
घटा: धारा 24 के अन्तर्गत कटौती		
(i) शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%	1,56,600	
(ii) गृह ऋण पर ब्याज **(वर्किंग नोट 2 देखें)**	2,24,400	
		3,81,000
"गृह सम्पत्ति" के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय		**1,41,000**

कार्यकारी टिप्पणी:

(1)	**सकल वार्षिक मूल्य से कटौतीयोग्य पालिका कर** धारा 23(1) के उपबंध के अनुसार, गत वर्ष के दौरान स्वामी द्वारा वास्तव में भुगतान पालिका कर की सकल वार्षिक मूल्य से कटौती की आज्ञा है। तदानुसार 25.05.2017 को भुगतान `18,000 की सकल वार्षिक मूल्य से कटौती की आज्ञा है, जब गत वर्ष 2017-18 की ग`ह सम्पत्ति से आय की गणना की जाती है[3]।
(2)	**गृह ऋण पर ब्याज धारा 24 के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य है** धारा 24(b) के अनुसार चालू वर्ष के लिए ब्याज (`22,00,000 x 9%) ` 1,98,000 **निर्माण पूर्व ब्याज** 01.08.2015 से 31.03.2016 (`22,00,000 x 9% x 8/12) = ` 1,32,000 गत वर्ष 2016–17 से गत वर्ष 2020–2021 तक `1,32,000 की 5 बराबर किश्तों में स्वीकृत है (`1,32,000/5) ` 26,400 **` 2,24,400**
3.	किराया सम्पत्ति के लिए गृह ऋण पर ब्याज के संबंध में धारा 24(b) के अन्तर्गत कटौती की सीमा के बिना स्वीकृत है।

[2] पालिका मूल्य उचित किराया तथा मानक किराया से संबंधित सूचना के अभाव में प्राप्त किराया को सकल वार्षिक मूल्य के रूप में लिया।

[3] 15.04.2018 को भुगतान पालिका कर की गत वर्ष 2018–19 की गृह सम्पत्ति से आय की गणना करते हुए कटौती के रूप में आज्ञा होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री चव्हाण की व्यापार आय की गणना

विवरण	`	`
लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ		11,50,000
जोड़ें: **कटौतीयोग्य नहीं व्यय**		
प्रधान मंत्री राहत निधि में दान (नोट 1 देखें)	1,00,000	
अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान (नोट 2 देखें)	50,000	
कर्मचारियों पर किया गया परिवार नियोजन व्यय (नोट 3 देखें)	20,000	
लाभ तथा हानि खाते के अनुसार ह्रास	30,000	
आयकर (नोट 4 देखें)	1,00,000	
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान (नोट 5 देखें)	25,000	3,25,000
		14,75,000
घटायें: **स्वीकृत व्यय**		
आयकर नियम के अनुसार ह्रास (नोट 6 देखें)		40,000
		14,35,000
जोड़ें: धारा 2(24)(x) के अनुसार कर्मचारी का अंशदान आय में सम्मिलित (नोट 7 देखें)		25,000
व्यापार आय		**14,60,000**

नोट:

(1) प्रधान मंत्री राहत निधि में दान की व्यापार आय से कटौती के रूप में स्वीकृति नहीं है, क्योंकि इसे समस्त तथा एकनिष्ट रूप से व्यापार के लिए नहीं किया। इसकी सकल कुल आय से धारा 80G के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृति है।

(2) अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान केवल बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम तथा राज्य औद्योगिक निवेश नियम के मामले में धारा 36(1)(viia) के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य है। इसलिए, श्री चव्हाण के मामले में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

(3) परिवार नियोजन पर व्यय की धारा 36(1)(ix) के अन्तर्गत कम्पनी करनिर्धारी को स्वीकृत है। इसलिए, इस प्रकार का व्यय श्री चव्हाण के हाथों में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

(4) आयकर का भुगतान धारा 40(a)(ii) के प्रावधान के अनुसार कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(5) क्योंकि श्री चव्हाण का अंशदान (नियोक्ता का अंशदान) ` मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में आयकर की विवरणी को फाइल करने की अंतिम तिथि के पश्चात् जमा हुआ वह करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के व्यापार की आय की गणना में धारा 43B के प्रावधान के अनुसार अस्वीकृत है।

(6) धारा 43(1) के द्वितीय उपबंध के अनुसार, सम्पत्ति के अधिग्रहण पर व्यय, जिसके संबंध में एक व्यक्ति को एक दिन में भुगतान `10,000 से अधिक है, को वास्तविक लागत की गणना के लिए अनदेखी करनी होगी यदि इस प्रकार के भुगतान को एकाउंट पेयी चैक/बैंक ड्राफ्ट अथवा ECS के अतिरिक्त किया जाता है। तदनुसार् फर्नीचर तथा फिक्सर पर ह्रास स्वीकृत नहीं होगा क्योंकि ` 10,000 (इस मामला में ` 35,000) से अधिक भुगतान नकद में किया। इसलिए आयकर नियम, 1962 के अनुसार ह्रास की गणना में इस राशि का समयोजन नहीं किया जायेगा, क्योंकि इस राशि में फर्नीचर तथा फिक्सर पर ह्रास सम्मिलित नहीं है।

(7) कर्मचारी का अंशदान धारा 2(24)(x) के कारण नियोक्ता की आय में सम्मिलितयोग्य है। उसके लिए कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी क्योंकि इसे भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत देय तिथि के पश्चात् जमा किया।

(8) धारा 194A के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के प्रावधान बैंक ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में आकर्षिक नहीं होते

6. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए शीर्ष 'पूंजीगत लाभ' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना

विवरण	`
आवासीय गृह की बिक्री पर पूंजीगत लाभ	
वास्तविक बिक्री प्रतिफल ` 82 लाख	
स्टेम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अपनाया मूल्य ` 92 लाख	
बिक्री प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [उपरोक्त में से अधिक]	92,00,000
[धारा 50C के अनुसार, जहां पर करनिर्धारी द्वारा घोषित वास्तविक बिक्री प्रतिफल, स्टेम्प ड्यूटी को वसूलने के उद्देश्य के लिए स्टेम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अपनाये मूल्य से कम है तब स्टेम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अपनाया मूल्य को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य लिया जायेगा।	
जहां पर समझौता की तिथि पंजीकरण की तिथि से भिन्न है, समझौता की तिथि को स्टॉम्प ड्यूटी मूल्य पर विचार किया जा सकता है वशर्ते प्रतिफल के संपूर्ण अथवा भाग का भुगतान अकाउंट पेयी चैक/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अथवा बैंक खाता के जरिये ECS के द्वारा समझौता की तिथि पर या उससे पूर्व कर दिया गया है। इस मामले में क्योंकि 25% का भुगतान समझौते की तिथि अकाउंट पेयी	

© The Institute of Chartered Accountants of India

बैंक ड्राफ्ट के जरिये किया गया, समझौते की तिथि को स्टॉम्प ड्यूटी मूल्य को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में अपनाया जा सकता है।		
घटायें: **आवासीय गृह का अधिग`हण की सूचकांक लागत**		
[` 21 lakhs x 272/105]		54,40,000
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ [क्योंकि आवासीय गृह सम्पत्ति को इसके अंतरण की तिथि से एकदम पहले 24 माह से अधिक के लिए श्री साहू द्वारा धारित किया]		**37,60,000**
घटायें: धारा 54 के अन्तर्गत विमुक्ति		35,00,000
दीर्घ कालीन सम्पत्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजीगत पर उस हद तक कर वसूलीयोग्य नहीं होगा जहां तक इस प्रकार के पूंजीगत लाभ को मूल सम्पत्ति की अंतरण की तिथि के पश्चात् दो वर्ष अथवा एक वर्ष पूर्व के अंदर भारत में एक आवासीय गृह सम्पत्ति के क्रय में निवेश किया गया है।		———
कर से वसूलीयोग्य दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ		**2,60,000**
अन्य स्रोतों से आय		
- बचत बैंक खाता पर ब्याज	12,000	
- लॉटरी से आय [` 84,000 x 100/70]	1,20,000	
[धारा 194B के अन्तर्गत भुगतान के समय लॉटरी आय पर स्रोत पर 30% की दर से कर कटौती करनी होगी यदि राशि ` 10,000 से अधिक है]		1,32,000
सकल कुल आय		**3,92,000**
घटा: अध्याय VI-A के अन्तर्गत धारा 80TTA के अन्तर्गत बचत बैंक पर ब्याज के संबंध में कटौती, सीमित है		10,000
कुल आय		**3,82,000**
कर दायित्व		
` 2,000 की कुल आय पर कर अर्थात् दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ तथा लॉटरी आय को छोड़कर पर कर		शून्य
20% की दर से दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर ` 12,000 (` 2,60,000 घटा गैर–समाप्त मूल विमुक्ति सीमा ` 2,48,000 [` 2,50,000 - ` 2,000 जो कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ तथा लॉटरी से आय को छोड़कर) कुल आय है		2,400
30% की दर से लॉटरी से आय पर कर		36,000
		38,400
जोड़े: 2% की दर से शिक्षण उपकर		768

© The Institute of Chartered Accountants of India

जोड़ें: 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर	384
कर दायित्व	**39,552**
घटायें: स्रोत पर कर कटौती	
- लॉटरी से आय पर धारा 194B के अन्तर्गत	36,000
- आवासीय गृह के अंतरण पर धारा 194-IA के अन्तर्गत (` 82,00,000 का 1%)	82,000
वापसीयोग्य कर	**78,448**

7. (a) धारा 2(22)(e) प्रावधान करता है कि एक कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है, के द्वारा अग्रिम अथवा ऋण की राशि का भुगतान

- एक अंशधारक को जो कि मताधिकार का 10% से कम नहीं की अंशधारिता का हितग्राही स्वामी है,
- किसी सस्था को जिसमें इस प्रकार का अंशधारक साझेदार है तथा जिसमें उसका पर्याप्त हित है (अर्थात् वह इस प्रकार की संस्था की आय के 20% से कम नहीं का हितग्राही रूप से हकदार है)।

को उस हद तक लाभांश के रूप में माना जाता है जितना कम्पनी संग्रहीत लाभ को समाहित करती है।

वर्तमान मामले में, TRP(P) Ltd. द्वारा एक साझेदारी फर्म, Pranav & Sons को दिया गया ऋण लाभांश के रूप में माना जायेगा क्योंकि श्री प्रणव TRP(P) Ltd. में 15% अंशधारिता का हितग्राही स्वामी है तथा Pranav & Sons में पर्याप्त हित रखता है (क्योंकि वह फर्म की आय का 50% का हितग्राही हकदार है)।

यद्यपि, ऋण की राशि को TRP(P) Ltd. की संग्रहीत लाभ की हद तक लाभांश के रूप में माना जायेगा। इसलिए Pranav & Sons को दिया `35 लाख का ऋण में से, केवल ` 30 लाख अर्थात् TRP(P) Ltd. की संग्रहीत लाभ की हद तक को लाभांश के रूप में माना जायेगा।

(b)

क्रम संख्या	करयोग्य / करयोग्य नहीं	कारण
(i)	**करयोग्य**	क्योंकि एक क्लोजली हेलंड कम्पनी MNS Private Limited ने प्रीमियम पर 12,000 अंशों के जारी किया (अर्थात् निर्गम कीमत अंशों का अंकित मूल्य से अधिक है) उचित बाजार कीमत पर अंशों की निर्गम कीमत से आधिक्य शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के

© The Institute of Chartered Accountants of India

		अन्तर्गत उसके हाथों में करयोग्य होगा। इसलिए, ` 1,80,000 [12,000 × ` 15 (` 125 – ` 110)] शीर्ष 'अन्य स्रोतो से आय' के अन्तर्गत MNS Private Limited के हाथों में आय के रूप में करयोग्य होगी।
(ii)	**करयोग्य**	एक पूंजी सम्पत्ति के अंतरण के लिए सौदेबाजी के दौरान एक अग्रिम अथवा अन्यथा के रूप में प्राप्त धन की कोई राशि शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य होगी यदि राशि को जब्त कर लिया जाता है तथा सौदेबाजी का परिणाम पूंजीगत सम्पत्ति का अंतरण नहीं है [धारा 56(2)(ix)]। इसलिए, अग्रिम के रूप में प्राप्त ` 56,000 की राशि शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के अन्तर्गत श्री अरूण के हाथों में कर से वसूलीयोग्य होगा क्योंकि इसमें समय पर किश्त के गैर–भुगतान के कारण गृह जो कि पूंजीगत सम्पत्ति है के अंतरण के लिए संविदा के निरस्तीकरण के कारण जब्त किया है।
(iii)	**करयोग्य नहीं**	धारा 56(2)(x) के अनुसार, संबंधी से किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के बिना प्राप्त अचल सम्पत्ति करयोग्य नहीं है। वर्तमान मामले में, क्योंकि श्री नीतिन श्री राज का पिता है, बिना प्रतिफल की प्राप्ति के ` 12 लाख जो गृह सम्पत्ति का स्टॉम्प ड्यूटी मूल्य है श्री राज के हाथों में कर से वसूलीयोग्य नहीं होगा।
(iv)	**करयोग्य नहीं**	रेफ्रीजरेटर को शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता के हाथों में धारा 56(2)(x) के अन्तर्गत करयोग्यता के उद्देश्य के लिए "सम्पत्ति" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया है। आगे, उसे तनु द्वारा अपने मामा जो कि एक संबंधी है से विवाह के अवसर पर प्राप्त किया। अतएव, विवाह के अवसर पर संबंधी से प्रतिफल के बिना प्राप्त रेफ्रीजरेटर का उचित

© The Institute of Chartered Accountants of India

		बाजार मूल्य ` 75,000 तनु के हाथों में करयोग्य नहीं है, चाहे ` 50,000 से अधिक है।

8. किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना में, अलग रहने के समझौते के संबंध में अथवा पर्याप्त प्रतिफल के अतिरिक्त इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा अपने जीवन साथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित सम्पत्ति से इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन साथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न आय को सम्मिलित किया जायेगा।

ऋण पर ब्याज: तदानुसार् श्री सहर्ष की पत्नी सुश्री संध्या द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज जो `60,000 है को श्री सहर्ष की कुल आय में सम्मिलित होगा क्योंकि इस प्रकार के ऋण को उसने पति से उपहार के रूप में प्राप्त धन की राशि में से दिया है।

व्यापार से हानि: धारा 64 की स्पष्टीकरण 2 के अनुसार आय में हानि सम्मिलित है। इसलिए क्लबिंग प्रावधान लागू होगे चाहे हानि है, आय नहीं ।

इसलिए, श्री मती संध्या द्वारा चलाये जा रहे व्यापार से `25,000 की समस्त हानि को श्री सहर्ष की कुल आय में सम्मिलित किया जायेगा क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को निवेशित पूंजी उसके पति द्वारा उपहार फंड में से है।

अल्पकालीन पूंजी लाभ: संध्या द्वारा अर्जित ` 60,000 की ब्याज आय (उसके पति द्वारा उपहार में दी गयी राशि में दिया गया ऋण से) के निवेश द्वारा अधिगृहीत अंशों की बिक्री से श्रीमती संध्या के हाथों में उत्पन्न `25,000 (` 850,00 जो बिक्री प्रतिफल है घटा `60,000 जो अधिग्रहण की लागत है, के अल्प कालीन पूंजीगत लाभ को श्री सहर्ष के हाथों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। क्योंकि प्रतिभूति सौदा कर का भुगतान किया गया है, सूचीबद्ध अंशों की बिक्री पर ऐसा अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 15% की दर से करयोग्य है।

अंतरित सम्पत्ति की अभिवृद्धि से आय अंतरणकर्ता के हाथों में सम्मिलित होने के लिए दायी है, तथा इसलिए, इस प्रकार की आय श्रीमती संध्या के हाथों में करयोग्य है।

9. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री अरिहंत की कुल आय की गणना

विवरण	`	`
वेतन		
वेतन से आय	3,50,000	
घटा: धारा 71(3A) के अनुसार वेतन आय के विरूद्ध सेट ऑफ गृह सम्पत्ति से हानि	2,00,000	1,50,000
व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा अर्जन		
ट्रेडिंग व्यापार से आय	75,000	
घटा: करनिर्धारण वर्ष 2014–15 की ट्रेडिंग व्यवसाय से आगे लायी हानि को धारा 72(1) के अनुसार ट्रेडिंग		

© The Institute of Chartered Accountants of India

व्यापार से वर्तमान आय के विरूद्ध सेट ऑफ किया जाता है। क्योंकि धारा 72(3) के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय सीमा आठ वर्ष के अंदर है, जिसके अंदर अनुमेय सेट ऑफ समाप्त नहीं हुआ है।	8,000	
	67,000	
घटा: गैर–अवशोषित ह्रास	11,000	56,000
सट्टा व्यापार Y से आय	15,000	
घटा: सट्टा व्यापार X से हानि को धारा 73(1) के अनुसार सेट ऑफ किया जायेगा	15,000	
सट्टा व्यापार X से हानि को धारा 73(2) के अनुसार करनिर्धारण वर्ष 2019–20 तक आगे ले जाया जायेगा	10,000	
पूंजीगत लाभ		
शहरी जमीन की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ	2,30,000	
घटा: धारा 70(3) के अनुसार सेट ऑफ अंशों की बिक्री (प्रतिभूति सौदाकर का भुगतान नहीं) पर दीर्घकालीन पूंजीगत हानि	85,000	1,45,000
सूचीबद्ध अंशों की बिक्री पर ` 1,02,000 की दीर्घकालीन पूंजीगत हानि जिस पर अधिग्रहण तथा बिक्री के समय प्रतिभूति सौदा कर का भुगतान किया है को शहरी जमीन की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के विरूद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता क्योंकि विमुक्त स्रोत से हानि को करयोग्य स्रोत से लाभ के विरूद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता।		
कुल आय		**3,51,000**

करनिर्धारण वर्ष 2019–20 तक आगे ले जाने वाली पात्र में

विवरण	`
गृह सम्पत्ति से हानि	20,000
धारा 71(3A) के अनुसार, गृह सम्पत्ति से हानि को केवल ` 2,00,000 की हद तक आय का किसी अन्य स्रोत के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है।	
धारा 71B के अनुसार, शेष हानि को अगले वर्ष की गृह सम्पत्ति से आय के विरूद्ध सेट ऑफ करने के लिए अगले वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है। इसे अधिकतम आठ करनिर्धारण वर्षों के लिए आगे ले जाया जा सकता है। अर्थात् इस मामले में करनिर्धारण वर्ष 2026–27 तक।	

© The Institute of Chartered Accountants of India

सट्टा व्यापार X से हानि सट्टा व्यापार से हानि को केवल किसी अन्य सट्टा व्यापार से लाभ के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। धारा 73(2) के अनुसार, शेष हानि को अगले वर्ष की सट्टा व्यापार आय के विरूद्ध सेट ऑफ के लिए अगले वर्ष तक आगे ले जाने के लिए सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की हानि को अधिकतम चार करनिर्धारण वर्ष अर्थात् इस मामले में करनिर्धारण वर्ष 2022–23 तक जैसा 73(4) के अन्तर्गत निर्दिष्ट है।	10,000
धारा 35AD के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यापार से हानि धारा 35AD के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यापार से हानि को केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यापार के लाभ के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। यदि हानि को इस तरह से सेट ऑफ नहीं किया जा सका तो उसे अगले वर्ष में निर्दिष्ट व्यापार की आय में से, यदि कोई है, के विरूद्ध सेट ऑफ के लिए अगले वर्ष तक ले जाया जा सकता है। धारा 73A(2) के अनुसार, इस प्रकार की हानि को किसी निर्दिष्ट व्यवसाय का लाभ के विरूद्ध सेट ऑफ के लिए अनिश्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है।	40,000
घुड़दौड़ का स्वामित्व तथा बनाये रखने की गतिविधि से हानि घुड़दौड़ का स्वामित्व तथा बनाये रखने की गतिविधि से हानि को (वर्तमान वर्ष अथवा आगे लाया) को घुड़दौड़ का स्वामित्व अथवा बनाये रखने की गतिविधि से आय के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। यदि इसे सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, इसे घुड़दौड़ का स्वामित्व तथा बनाये रखने की गतिविधि से आय के विरूद्ध सेट ऑफ के लिए आगे ले जाया सकता है। इसे अधिकतम चार करनिर्धारण वर्ष अर्थात् इस मामले में करनिर्धारण वर्ष 2021–22 तक आगे ले जाया जा सकता है जैसा धारा 74A(3) में निर्दिष्ट है।	5,000

10.

धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती की गणना
श्री अन्य धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र है क्योंकि वह करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए धारा 44AB के अन्तर्गत कर अंकेक्षण के तहत है क्योंकि उसकी व्यापार से उनकी टर्नओवर ` 1 करोड़ से अधिक है तथा उसने गत वर्ष 2017–18 के दौरान अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया है। अतिरिक्त कर्मचारी लागत = [` 22,000 × 40 नये नियमित कर्मचारी × 11 माह] + [` 15,000 प्रति माह × 9 माह × 25 नये ठेके पर कर्मचारी] = ` 96,80,000 + ` 33,75,000 = ` 1,30,55,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती = 30% का ` 1,30,55,000 = ` 39,16,500.

वर्किंग नोटः गत वर्ष 2017–18 के दौरान नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या

विवरण		अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या	
वर्ष के दौरान रोजगार में अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या			140
घटायें:	15 अप्रैल 2017 को नियुक्त अस्थायी कर्मचारी जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग नहीं लेते	15	
	1 अगस्त 2017 को नियुक्त नियमित कर्मचारी क्योंकि उनका मासिक पारिश्रमिक ` 25,000 से अधिक है	35	
	गत वर्ष 2017–18 के दौरान 240 दिवस से कम अवधि के लिए 1 अक्टूबर 2017 को नियुक्त कर्मचारी	25	75
गत वर्ष 2017–18 के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या			65

हां, उत्तर भिन्न होगा यदि श्री अन्य कपड़ा पोशाक के निर्माण में लिप्त है। क्योंकि कपड़ा पोशाक उद्योग के मामले में एक वर्ष में रोजगार की दिनों की संख्या को 240 दिवस से घटाकर 150 दिवस कर दी गई है, 01.10.2017 को नियुक्त नियमित कर्मचारियों को भुगतान मजदूरी भी करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती के लिए अहर्ता प्राप्त करेगा।

अतिरिक्त कर्मचारी लागत = ` 1,30,55,000+ ` 33,00,000 (` 22,000 x 6 x 25)

= ` 1,63,55,000

धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती = 30% of ` 1,63,55,000= ` 49,06,500

11. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री अनूप की कुल आय की गणना

विवरण	`	`	`
व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा अर्जन			
लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ		8,40,000	
घटाः लाभ तथा हानि को क्रेडिट आय परन्तु इस शीर्ष के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है			

© The Institute of Chartered Accountants of India

अधिसूचित सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	32,000		
विदेशी कम्पनी से लाभांश	28,000		
माता से प्राप्त सोने की चेन का उपहार			
	78,000	1,38,000	
		7,02,000	
जोड़ें: लेखा की पुस्तकों में डेबिट ह्रास		1,05,000	
		8,07,000	
***जोड़ें:* लाभ तथा हानि खाता को डेबिट व्यय परन्तु कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं**			
प्लांट तथा मशीनरी के क्रय के लिए ऋण पूंजी पर ब्याज	82,000		
[धारा 36(1)(iii) का उपबंध के अनुसार, नयी सम्पत्ति के क्रय के लिए, 31.03. 2018 तक उपयोग में नहीं लाई के लिए उधार ऋण पर ब्याज कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। उक्त राशि को सम्पत्ति की लागत में जोड़ा जायेगा क्योंकि राशि को लाभ तथा हानि खाता में डेबिट किया है, इसे वापस जोड़ा जायेगा]			
वाहक चेक के द्वारा भुगतान ` 10,000 से आधिक्य में व्यय धारा 40A(3) के अनुसार अस्वीकृत होगा।	18,500		
वाणिज्यिक आवश्यकता के आधार पर व्यापार यूनिट में उनकी सेवा की समाप्ति पर एक कर्मचारी को भुगतान क्षतिपूर्ति स्वीकार्य है। अतएव कोई अस्वीकृत नहीं होगी।	-	1,00,500	
		9,07,500	
घटायें: आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य ह्रास		1,16,000	7,91,500
[नयी प्लांट तथा मशीनरी पर ह्रास की स्वीकृति नहीं होगी क्योंकि इसे गत वर्ष 2017–18 के दौरान उपयोग में नहीं लाया गया]			
अन्य स्रोतों से आय			
धारा 10(15) के अन्तर्गत विमुक्त अधिसूचित		-	

© The Institute of Chartered Accountants of India

सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज			
विदेशी कम्पनी से लाभांश [(धारा 10(34) के अन्तर्गत विमुक्त नहीं]		28,000	
उसकी माता से प्राप्त सोने की चेन का उपहार करयोग्य नहीं क्योंकि माता संबंधी है [धारा 56(2)(x) का उपबंध वाक्य (I)]		-	28,000
सकल कुल आय			**8,19,500**

घटा: **अध्याय VI-A के अन्तर्गत कटौती**			
धारा 80C के अन्तर्गत			
सुकन्या स्मृद्धि योजना में जमा		48,000	
धारा 80D के अन्तर्गत			
चिकित्सा बीमा प्रीमियम			
स्वयं तथा पत्नी के लिए ` 28,000 + ` 2,500 रोकथाम स्वास्थ्य जांच अधिकतम	25,000		
पिता जो अति वरिष्ठ नागरिक का चिकित्सा व्यय क्योंकि उनके नाम में कोई बीमा पॉलिसी नहीं है प्रतिबंधित है।	30,000		
		55,000	
धारा 80G के अन्तर्गत			
स्वच्छ गंगा फंड में दान (100% कटौती के लिए अहर्ता)		23,000	1,26,000
कुल आय			**6,93,500**
` 2,50,000 पर 5% की दर से कुल आय पर कर (` 5,00,000 घटा ` 2,50,000, जो कि मूल विमुक्ति सीमा है) जमा ` 1,93,500 पर 20% की दर से (` 5,00,000 का आधिक्य में)			51,200
जोड़े: 2% की दर से शिक्षण उपकर			1024
जोड़े: 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर			512
भुगतानयोग्य कर			**52,736**
भुगतानयोग्य कर (राउंड ऑफ)			**52,740**

12. एक बैंकिंग कम्पनी द्वारा क्रेडिट अथवा भुगतान ब्याज के संबंध में धारा 194A के अन्तर्गत 10% की दर से कर कटौतीयोग्य है, यदि यह `10,000 से अधिक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

यह सीमा बैंक की शाखा द्वारा क्रेडिट अथवा भुगतान के संदर्भ में है जहां पर बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन को नहीं अपनाया।

दूसरी तरफ, यदि बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन को अपनायी, तब `10,000 की सीमा बैंक की सभी शाखाओं द्वारा भुगतान अथवा क्रेडिट ब्याज के योग पर लागू होगी।

इसलिए, यदि Shurya Bank Ltd. ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन को नहीं अपनाया, इसे भुवन को लखनऊ शाखा तथा कानपुर शाखा द्वारा भुगतान क्रमशः ` 7,000 तथा ` 8,000 पर ब्याज की कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

यद्यपि, यदि Shurya Bank Ltd. ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन को अपनाया है, तो इसे धारा 194A के अन्तर्गत ` 15,000 (` 7,000 + ` 8,000) पर 10% की दर से कटौती करनी होगी क्योंकि लखनऊ तथा कानपुर शाखा द्वारा उत्पन्न योग ब्याज `10,000 से अधिक है।

13. श्री खिखर की अग्रिम करदायित्व का निर्धारण

विवरण	`
वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुमानित करदायित्व	85,000
घटायें: स्रोत पर कर कटौती	15,000
भुगतानयोग्य कर	**70,000**

किश्त की देय तिथि	भुगतानयोग्य राशि	`
15 जून 2017 को अथवा उससे पूर्व	अग्रिम करदायित्व का 15% से कम नहीं	10,500
15 सितम्बर 2017 को अथवा उससे पूर्व	अग्रिम कर का 45% से कम नहीं घटा पहले किश्त में भुगतान राशि	21,000 (` 31,500, जो कि ` 70,000 का 45% - ` 10,500)
15 दिसम्बर 2017 को अथवा उससे पूर्व	अग्रिम कर का 75% से कम नहीं घटा पहले की किश्तों में भुगतान राशि	21,000 (52,500, जोकि ` 70,000 का 60% - ` 31,500)
15 मार्च 2018 को अथवा उससे पूर्व	समस्त अग्रिम कर दायित्व घटा पहले की किश्तों में भुगतान राशि	17,500 (70,000, जोकि ` 70,000 का 100% - ` 52,500)

जहां पर वह धारा 44AD के अन्तर्गत प्रकल्पित कर प्रावधान के लिए पात्र है तथा उसकी समस्त करदायित्व इस प्रकार की आय के करण है, वह धारा 243C के अन्तर्गत ब्याज को आकर्षित किये बिना 15.3.2018 को अथवा उससे पूर्व एक किश्त में समस्त अग्रिम करदायित्व का भुगतान कर सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

यद्यपि, यह लाभ उपलब्ध नहीं होगा यदि वह धारा 44AE के अन्तर्गत प्रकल्पित कर प्रावधान को चुना इस मामले में उसे चार किश्त में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा, जिसको जमा ना करने पर धारा 234C आकर्षित होगा।

14. धारा 206(1F) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति विक्रेता होने के नाते जो मोटर वाहन की बिक्री पर ` 10 लाख से अधिक प्रतिफल राशि प्राप्त करता है, बिक्री के प्रतिफल पर 1% कर एकत्र करेगा।

मोटर वाहन की बिक्री के मामले में, इस तरह की राशि के प्राप्त होने पर कर एकत्र किया जायेगा।

CBDT ने 08.06.2016 के परिपत्र संख्या 22/2016 दिनांक 08.06.2016 और 24.06.2016 के परिपत्र संख्या 23/2016 के अनुसार स्पष्ट किया है कि खुदरा बिक्री के सभी लेनदेनों पर स्रोत पर कर एकत्र करने की आवश्यकता है और तदनुसार, निर्माताओं द्वारा मोटर वाहनों की डीलरों/वितरकों को बेचने पर यह लागू नहीं होगा।

15. धारा 139(5) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति देय तिथि के अंदर धारा 139(1) के अन्तर्गत एक विवरणी अथवा धारा 139(4) के अन्तर्गत देरी से विवरणी को फाइल करता है, उसमें किसी छूट अथवा किसी गलत वक्तव्य को पाता है, वह किसी समय पर पुनरीक्षित विवरणी को जमा कर सकता है–

(a) प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष के अंत से पूर्व अथवा

(b) करनिर्धारण की पूर्णता से पूर्व

जो भी पहले है।

करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए देरी से विवरणी को 31 मार्च 2019 से पूर्व अथवा करनिर्धारण की पूर्णता जो भी पहले है जमा करना होगा।

क्योंकि श्री अथर्व ने 31.07.2018 जो कि इस मामले में धारा 139(1) के अन्तर्गत आय की विवरणी को फाइल करने की देय तिथि थी, के पश्चात् परन्तु 31.03.2019 करनिर्धारण की पूर्णता से पूर्व विवरणी को फाइल किया उक्त विवरणी एक देरी से विवरणी है।

इसलिए, वर्तमान मामले में श्री अथर्व पुनरीक्षित विवरणी को फाइल कर सकता है क्योंकि उसने करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए देरी से फाइल विवरणी में भूल को पाया तथा अभी करनिर्धारण को पूर्ण होना है तथा 31.03.2019 जो करनिर्धारण वर्ष 2018–19 का अंत है जो समाप्त नहीं हुआ है।

****

© The Institute of Chartered Accountants of India

खंड B: अप्रत्यक्ष कर

प्रश्न

(1) सभी प्रश्नों का उत्तर 30.04.2018 तक संशोधित GST कानून की स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए।

(2) विभिन्न प्रश्नों में वर्णित वस्तु तथा सेवा के लिए GST दरें काल्पनिक है तथा उन वस्तु तथा यह आवश्यक नहीं कि वह सेवा पर लगने वाली वास्तविक दर हो। आगे जहां भी लागू है GST क्षतिपूर्ति उपकर की सभी प्रश्नों में अनदेखी करनी चाहिए।

1. M/s. Shri Durga Corporation Pvt. Ltd. कोलकत्ता में वस्तु तथा सेवा का आपूर्तिकर्ता है। इसने फरवरी 2020 के माह के लिए निम्न सूचना प्रदान की

	विवरण	राशि (`)
(i)	करयोग्य वस्तु की अन्तः राज्य बिक्री में जनवरी 20XX में अग्रिम के रूप में प्राप्त ` 1,00,000 सम्मिलित है, समस्त बिक्री मूल्य के लिए इंवायस को 15 फरवरी 20XX को जारी किया।	4,00,000
(ii)	20 फरवरी 20XX को अपंजीकृत डीलर से क्रय वस्तु (अन्तर्राज्य क्रय ` 30,000 का मूल्य की है तथा शेष क्रय अंतः राज्य क्रय है)	1,00,000
(iii)	आवासीय परिसर के भाग के अतिरिक्त एकल आवासीय यूनिट का मरम्मत के लिए श्रम ठेके के जरिये प्रदान सेवा (यह अंतःराज्य सौदा है)	1,00,000
(iv)	GTA से प्राप्त वस्तु परिवहन सेवा GTA 12% की दर से कर का भुगतान कर रहा है (यह अन्तर्राज्य सौदा है)	2,00,000

फरवरी 20XX के माह के लिए M/s Shri Durga Corporation Pvt. Ltd. की शुद्ध GST दायित्व की गणना करें।

GST की दरें मानले जब तक अन्यथा निर्दिष्ट ना होः

CGST	9%
SGST	9%
IGST	18%

नोटः-

(i) गत वित्तीय वर्ष में M/s. Shri Durga Corporation Pvt. Ltd. की टर्नओवर ` 2.5 करोड़ थी।

(ii) दी गयी राशि करों से हट कर है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता Cloud Seven Private Limited करयोग्य वस्तओं के निर्माण में लिप्त है। कम्पनी फरवरी 20XX के माह के दौरान इसके द्वारा प्राप्त सेवा किये गये क्रय पर भुगतान GST से संबंधित निम्न सूचना को प्रदान करती है:

	विवरण	GST भुगतान (`)
(i)	कच्ची सामग्री का परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक	1,20,000
(ii)	फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों के उपयोग के लिए भोजन तथा पेय	40,000
(iii)	इनपुट को पांच प्लांट में प्राप्त किया जाना है जिनमें से तृतीय प्लांट को माह के दौरान प्राप्त किया गया है	80,000
(iv)	फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्राप्त क्लब की सदस्यता	1,50,000
(v)	पूंजीगत वस्तु (पांच मदों में से एक मद का इंवायस गायब था तथा उस मद पर भुगतान GST ` 50,000 था)	4,00,000
(vi)	कच्ची सामग्री (मार्च 20XX में प्राप्त करना है)	1,50,000

विभिन्न मदों का उपचार के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण को देकर फरवरी 20XX के माह के लिए Cloud Sever Pvt. Ltd. के साथ उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट का निर्धारण करें।

3. मुंबई की एक साझेदारी फर्म M/s. Handsome and Likemi Company मोबाइल फोन शो–रूम को चला रही है। मोबाइल फोन शो–रूम के साथ–साथ यह स्वास्थ्य तथा फिटनेस सेवा को प्रदान करने में लिप्त है।

पहले के गत वर्ष में मोबाइल फोन शोरूम की टर्नओवर ` 78 लाख थी तथा स्वास्थ्य तथा फिटनेस सेवा से प्राप्ति ` 26 लाख थी:

(i) केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के संदर्भ में परीक्षण करें क्या फर्म सम्मिश्रण योजना को चुन सकती है?

(ii) क्या आपके उत्तर में बदलाव आयेगा, यदि पहले के वित्तीय वर्ष में मोबाइल फोन शोरूम की टर्नओवर ` 74 लाख तथा स्वास्थ्य तथा फिटनेस सेवा की प्राप्ति ` 18 लाख थी?

(iii) यदि M/s. Handsome and Likemi Company ने मोबाइल फोन शो–रूम तथा स्वास्थ्य फिटनेस सेंटर के लिए पृथक् पंजीकरण को प्राप्त कर लेती है, तो क्या यह केवल मोबाइल फोन शोरूम के लिए सम्मिश्रण योजना को चुन सकती है?

4. श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का Luv & Kush Pvt. Ltd. जो उपहार मदों की आपूर्ति में लिप्त है आपको निम्न विवरण प्रदान करता है:

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक

© The Institute of Chartered Accountants of India

1.	वस्तु की आपूर्ति व्यापार का आरंभ	01.08.20XX
2.	` 10,00,000 से ज्यादा की टर्नओवर	15.08.20XX
3.	` 20,00,000 से ज्यादा टर्नओवर	05.09.20XX
4.	पंजीकरण के लिए आवेदन किया	28.09.20XX
5.	पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया	06.10.20XX

कम्पनी आपकी सलाह मांगती है कि किस प्रकार इसे की गयी आपूर्ति के लिए पुनरीक्षित कर इंवायस को उगाहना चाहिए। क्या गैर–पंजीकृत ग्राहकों को पुनरीक्षित कर इंवायस को जारी करने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। स्पष्ट करें।

5. एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता Red Pepper Ltd. करयोग्य वस्तु का निर्माता है। मार्च 20XX के माह के लिए इसके द्वारा की गयी करयोग्य अन्तर्राज्य आपूर्ति का निम्न विवरण है।

विवरण	राशि (`)
अन्तर्राज्य आपूर्ति वस्तुओं की सूची कीमत	15,00,000
सरकारी विद्यालय को करयोग्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायता	2,10,000
एक वृद्धाश्रम को करयोग्य वस्तु की आपूर्ति के लिए NGO से प्राप्त सहायता	50,000
पालिका प्राधिकरण द्वारा लगाया कर	20,000
पैकिंग प्रभार	15,000
इंवायस का देरी से भुगतान के लिए आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा देरी शुल्क	6,000

वस्तुओं की सूची कीमत प्राप्त दो सहायता को हिसाब में लेती है। यद्यपि अन्य प्रभार/कर/शुल्क को ग्राहकों से सूची कीमत से ऊपर पर वसूल किये जाते है। मार्च 20XX के माह के लिए M/s Red Pepper Ltd. द्वारा की गयी करयोग्य आपूर्ति का मूल्य की गणना करें। IGST की दर 18%।

6. (i) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अनुसार "भुगतान की प्राप्ति की तिथि" का अर्थ को स्पष्ट करें।

   (ii) चार गतिविधियों की सूची बनाये जिन्हें ना ही तो वस्तु की आपूर्ति माना जाता है ना ही GST कानून के अन्तर्गत सेवा की आपूर्ति है।

7. परीक्षण करें क्या सेवा की निम्न स्वतंत्र आपूर्ति में GST भुगतानयोग्य हैः

   (i) एक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान Indiana Engineering College ने इसके द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया तथा आवेदकों से प्रवेश शुल्क वसूल प्राप्त किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) एक कृषक Ramfal Lalaji ने वेयरहाउस में गन्ना को स्टोर किया। उसने Gupta Pest Control Co. से उक्त वेयरहाउस में धूमन सेवा को लिया जिसके लिए उसने ` 6,000 का प्रतिफल का भुगतान किया।

8. (i) GST कानून के प्रावधान के संदर्भ में, संक्षेप मं निम्न प्रश्न को उत्तर देवें:

(a) महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में पंजीकृत Ganpati Morya Pvt. Ltd. की अचल सम्पत्ति के किराया से प्राप्त आय (गत वित्तीय वर्ष में कम्पनी की टर्नओवर ` 18 लाख थी) क्या वर्तमान मामले में GST भुगतानयोग्य है। यदि हां, उसके भुगतान के लिए कौन दायी है?

(b) A2Z Pvt. Ltd. कम्पनी का निदेशक श्री विवेक गोयल ने बोर्ड मीटिंग में भाग लेने के लिए A2Z Pvt. Ltd. से ` 1 लाख की राशि की सिटिंग फीस प्राप्त की।

(ii) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 2(62) के अन्तर्गत "इनपुट कर" का अर्थ को स्पष्ट करें।

9. (i) परिस्थिति की चर्चा करें जहां पर पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए दायी है।

(ii) उस आदेश को स्पष्ट करें जिसमें करयोग्य व्यक्ति के दायित्व को GST कानून के अन्तर्गत निर्वाहित करना होता है।

10. परीक्षण करें क्या निम्न स्वतंत्र मामलों में सेवा के आयात की गतिविधि CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अन्तर्गत आपूर्ति होगी?

(i) सुश्री श्रीनीति कौशिक ने Sydney (Australia) के श्री रचल से बांद्रा मुंबई में स्थित अपने निवास के लिए वास्तु परामर्श सेवा को प्राप्त किया। उक्त सेवा के लिए भुगतान राशि 5,000 आस्ट्रेलियन डालर है।

(ii) सुश्री श्रीनीति कौशिक ने Sydney (Australia) में निवास करने वाले अपने भाई श्री वरूण से बांद्रा मुंबई में स्थित अपने निवास के लए वास्तु मरामर्श सेवा को प्राप्त किया। आगे सुश्री श्रीनीति ने उक्त सेवा के लिए किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया।

(iii) सुश्री श्रीनीति कौशिक ने Sydney (Australia) में निवास करने वाले भाई श्री वरूण से बांद्रा स्थित व्यापार परिसर के लिए वास्तु परामर्श सेवा का प्रदान किया। आगे सुश्री श्रीनीति ने उक्त सेवा के लिए किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया।

सुझाया उत्तर/संकेत

1. फरवरी **20XX** के माह के लिए **M/s. Shri Durga Corporation Pvt. Ltd.** की **GST** दायित्व की गणना।

विवरण	आपूर्ति का मूल्य	**CGST** (`)	**SGST** (`)	**IGST** (`)
करयोग्य वस्तु की अन्तर्राज्य बिक्री (नोट 1)	4,00,000	36,000	36,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

20 फरवरी 20XX को गैर–पंजीकरण डीलर से क्रय वस्तु (नोट 2)	Nil	Nil	Nil	
आवासीय परिसर के भाग के अलावा एक एकल आवासीय यूनिट की मरम्मत के लिए श्रम ठेके के जरिये सेवा (नोट 3)	1,00,000	9,000	9,000	
GTA से प्राप्त वस्तु परिवहन सेवा (नोट 4)	2,00,000			Nil
फरवरी 20XX के माह के लिए कुल GST दायित्व		45,000	45,000	Nil
घटायें: उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट (नोट 5) (` 2,00,000 x 12%)		24,000		
फरवरी 20XX का माह के लिए शुद्ध GST दायित्व		21,000	45,000	Nil

नोट:

1. CGST अधिनियम, 2017 की धारा 12 जिसे अधिसूचना संख्या *66/2017 CT दिनांक 15.11.2017* के साथ पढ़ा जाये प्रदान करता है कि सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का समय, बिना (संयोजन आपूर्तिकर्ता को छोड़कर) किसी टर्नओवर सीमा के, इंवायस को जारी करने का समय है। इसलिए, जनवरी 20XX में प्राप्त अग्रिम पर कर के भुगतान का दायित्व फरवरी के माह में भी उत्पन्न होगा जब आपूर्ति के लिए इंवायस को जारी किया जाता है।

2. एक गैर–पंजीकृत व्यक्ति से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गयी सभी अन्तः राज्य तथा अन्तर्राज्य पूर्ति को 30.06.2018 तक दैनिक पूर्ति के लिए किसी उपरी सीमा के बिना रिवर्स प्रभार दायित्व से मुक्त किया है। अधिसूचना संख्या *8/2017 CT (R)* दिनांक *28.06.2017* जैसा संशोधित किया तथा अधिसूचना संख्या *32/2017 IT(R)* दिनांक *13.10.2017* जैसा संशोधित किया है]

3. एक आवासीय परिसर के भाग के रूप में छोड़कर एक एकल आवासीय यूनिट से संबंधित मूल कार्य का निर्माण, इरेक्शन, कमिशनिंग अथवा स्थापना का शुद्ध श्रम ठेके के जरिये सेवा अधिसूचना संख्या *12/2017 CT(R)* दिनांक *28.06.2017* के जरिये विमुक्त है। मरम्मत के लिए श्रम ठेका इसलिए करयोग्य है।

4. अधिसूचना संख्या *13/2017 CT(R)* दिनांक *28.06.2017* के अनुसार, GST वस्तु परिवहन एजेंसी (GTA) से सड़क द्वारा वस्तु के परिवहन की सेवा की प्राप्ति पर उल्टा प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतानयोग्य है वशर्ते GTA ने 12% की दर से GST का भुगतान नहीं किया। क्योंकि दिये गये मामले में, सेवा को GTA से प्राप्त किया जिसने 12% की दर से GST का भुगतान किया, रिवर्स प्रभार प्रावधान लागू नहीं होगा।

5. इनपुट कर क्रेडिट GTA से प्राप्त सेवा के लिए उपलब्ध है। IGST का इनपुट कर क्रेडिट को CGST अधिनियम, 2017 की धारा 49(5) के जरिये क्रमशः क्रम में IGST, CGST तथा SGST के विरूद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. फरवरी 20XX के माह के लिए Cloud Seven Private Limited के पास उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट की गणना

विवरण	`
कच्ची सामग्री के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक [नोट -1]	1,20,000
फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों के उपयोग के लिए भोजन तथा पेय पदार्थ [नोट -2]	शून्य
इनपुट को पांच प्लांट में प्राप्त करना था जिसमें से तृतीय प्लांट को माह के दौरान प्राप्त किया [नोट -3]	शून्य
फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक क्लब की सदस्यता	शून्य
पूंजीगत वस्तु (पांच मदों में से, एक मद का इंवायस गायब है तथा उस मद पर भुगतान GST ` 50,000) [नोट -5]	3,50,000
मार्च 20XX में प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री [नोट-6]	शून्य
कुल इनपुट कर क्रेडिट	**4,70,000**

नोट:

1. मोटर वाहन पर इनपुट कर क्रेडिट की CGST अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के संदर्भ में अस्वीकृति है सिवाय जहां पर उन्हें वस्तुओं का परिवहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
2. भोजन अथवा पेय पर इनपुट कर क्रेडिट अस्वीकृत है जब तक उसे उसी श्रेणी की बाहरी करयोग्य आपूर्ति को करने अथवा करयोग्य सम्मिश्रण अथवा मिश्रण आपूर्ति के रूप में करने के लिए प्रयुक्त न किया गया हो [धारा 17(5)]।
3. जब इनपुट को किश्तों में प्राप्त किया है, इनपुट कर क्रेडिट को अंतिम किश्त की प्राप्ति पर प्राप्त किया जा सकता है [धारा 16(2)]।
4. एक क्लब की सदस्यता CGST अधिनियम की धारा 17(5) के अन्तर्गत विशेष रूप से अस्वीकृत है।
5. इनपुट कर क्रेडिट को गायब इंवायस पर लिया नहीं जा सकता। पंजीकृत व्यक्ति का इनपुट कर क्रेडिट का ग्रहण में इंवायस होना चहिए। [धारा 16(2) का CGST Act, 2017] .
6. इनपुट कर क्रेडिट केवल CGST अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) के संदर्भ में वस्तु की प्राप्ति पर उपलब्ध है।

3. एक पंजीकृत व्यक्ति जिसकी पहले के वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर ` 1 करोड़ से अधिक नहीं है [जम्मू तथा कश्मीर तथा उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी के मामले में ` 75 लाख] CGST अधिनियम, 2017 की धारा 10 के जरिये सम्मिश्रण योजना को चुन सकते है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हलांकि वह सम्मिश्रण योजना को चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह रेस्त्रां सेवा के अतिरिक्त सेवा की आपूर्ति में लिप्त है:

(i) दिये गये मामले में, क्योंकि M/s Handsome and Likemi Company स्वास्थ्य तथा फिटनेस सेवा की आपूर्ति में लिप्त है, यह पहले के वित्तीय वर्ष में इसके टर्नओवर पर विचार किये बिना यह सम्मिश्रण योजना के लिए चुनने के लिए पात्र नहीं है।

(ii) उत्तर वही रहेगा अर्थात् M/s. Handsome & Likemi Company सम्मिश्रण योजना को चुनने के लिए पात्र नहीं होगी चाहे टर्नओवर में बदलाव है।

(iii) जहां पर एक स्थायी खाता संख्या के साथ एक से अधिक पंजीकृत व्यक्ति है, पंजीकृत व्यक्ति सम्मिश्रण योजना को चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक इस प्रकार के सभी पंजीकृत व्यक्ति सम्मिश्रण योजना के अन्तर्गत कर के भुगतान को न चुनें।

इसलिए, M/s. Handsome and Likemi Company केवल मोबाइल फोन शोरूम के लिए सम्मिश्रण योजना को चुनने के लिए समर्थ नहीं होगा क्योंकि उसी PAN के अन्तर्गत सभी पंजीकरण को सम्मिश्रण योजना को चुनना है तथा क्योंकि स्वास्थ्य तथा फिटनेस सेवा की आपूर्ति सम्मिश्रण योजना के लिए पात्र नहीं है, मोबाइल फोन की आपूर्ति भी सम्मिश्रण योजना के लिए अपात्र हो जाता है।

4. एक आपूर्तिकर्ता जिसकी एक वित्तीय वर्ष में एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कुल टर्नओवर ` 20 लाख से अधिक है [जम्मू तथा कश्मीर तथा उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी राज्य में ` 10 लाख] CGST अधिनियम, 2017 की धारा 22 के जरिये पंजीकरण के लिए दायी बनने की तिथि (अर्थात् ` 20 लाख/` 10 लाख की न्यूनतम सीमा को पार करने की तिथि) से 30 दिवस के अंदर पंजीकरण के लिए दायी है।

जहां पर आवेदन को उक्त अवधि के अंदर जमा किया है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि वह होगी जिस पर वह व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी बन जाता है अन्यथा यह पंजीकरण को प्रदान करने की तिथि बन जाती है।

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि से पहले एक तिथि के प्रभाव से पंजीकरण को प्रदान किया पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि से 1 माह के अंदर की अवधि के दौरान प्रभावी करयोग्य आपूर्ति के संबंध में कर इंवायस को पुनरीक्षित कर सकता है।

दिये गये मामले में, Luv & Kush Pvt. Ltd एक विशेष श्रेणी राज्य राज्य जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है। यद्यपि विशेष श्रेणी राज्य की टर्नओवर सीमा ` 10 लाख है, जम्मू तथा कश्मीर में पंजीकरण के उद्देश्य के लिए ` 20 लाख की टर्नओवर सीमा को चुना है। इसलिए क्योंकि Luv & Kush Pvt. Ltd. ने पंजीकरण के लिए दायी होने के 30 दिवस के अंदर पंजीकरण का आवेदन किया है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि तिथि वह होगी जिस पर कम्पनी पंजीकरण के लिए दायी हो जाती है अर्थात् 05.09.20XX।

इसलिए, Luv & Kush Pvt. Ltd. 06.10.20XX से 1 माह के अंदर पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि (06.10.20XX) के मध्य अवधि के दौरान अवधि के दौरान पहले से जारी इंवायस के विरूद्ध पुनरीक्षित इंवायस जारी कर सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आगे, Luv & Kush Pvt. Ltd. इस प्रकार की अवधि के दौरान अपंजीकृत डीलर्स को की गयी सभी करयोग्य आपूर्ति के संबंध में एकीकृत पुनरीक्षित कर इंवायस जारी कर सकता है। यद्यपि, अपंजीकृत डीलर्स की गई अन्तर्राज्य आपूर्ति के मामले में, एक एकीकृत पुनरीक्षित कर इंवायस को जारी नहीं किया जा सकता, यदि एक आपूर्ति का मूल्य
` 2,50,000 से अधिक है।

5. मार्च 20XX के माह के लिए Red Pepper Ltd. द्वारा की गयी करयोग्य आपूर्ति का मूल्य की गणना

विवरण	`
वस्तु की सूची कीमत	15,00,000
जोड़ें: केंद्रीय सरकार से प्राप्त ` 2,10,000 राशि की सहायता	शून्य
[क्योंकि सहायता को सरकार से प्राप्त किया है, यह CGST अधिनियम, 2017 की धारा 15 के संदर्भ में मूल्य में सम्मिलितयोग्य नहीं]	
NGO से प्राप्त सहायता	50,000
[क्योंकि गैर–सरकारी संस्था से सहायता को प्राप्त किया, यह CGST अधिनियम, 2017 की धारा 15 के संदर्भ में मूल्य में सम्मिलितयोग्य है]	
पालिका प्राधिकरण द्वारा लगाया कर	20,000
[CGST अधिनियम, 2017 की धारा 15 के अनुसार मूल्य में सम्मिलितयोग्य]	
पैकिंग प्रभार	15,000
[सांयोगिक व्यय, यह CGST अधिनियम, 2017 की धारा 15 के अनुसार मूल्य में सम्मिलितयोग्य है]	
देरी से भुगतान के लिए आपूर्ति का प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान देरी से शुल्क	5,085
[CGST अधिनियम, 2017 की धारा 15 के अनुसार मूल्य में सम्मिलितयोग्य]	
(करो को शामिल माना है) [` 6,000 x 100/118] राउंड ऑफ	
करयोग्य सेवा का मूल्य	**15,90,085**

6. (i) CGST अधिनियम, 2017 के संदर्भ में 'भुगतान की प्राप्ति की तिथि संदर्भित करती है:

(a) वह तिथि जब भुगतान को इकाई (सेवा के आपूर्तिकर्ता) जो भुगतान को प्राप्त करती है की लेखा की पुस्तकों में रिकॉर्ड किया है, अथवा

(b) तिथि जब भुगतान को इकाई के बैंक खाता में क्रेडिट किया गया है,

जो भी पहले है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7(2)(a) जिसे अनुसूची III के साथ पढ़ा जाये गतिविधियों अथवा सौदों को निर्दिष्ट करता है जिसे नाही वस्तु की आपूर्ति और नाही सेवा की आपूर्ति माना जाता हैः

1. अपने रोजगार के संदर्भ में अथवा के दौरान एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को सेवा।
2. उस समय प्रभावी किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा सेवा।
3. (a) संसद सदस्य, विधायक, पंचायत सदस्य, पालिका सदस्य अथवा अन्य स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा निष्पादित कार्य;

   (b) किसी भी व्यक्ति द्वारा उस क्षमता में संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में किसी पद पर रहते हुए कर्तव्यों का पालन करना; या

   (c) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित एक संस्था में अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित कर्तव्य तथा जिन्हें इस वाक्य के आरंभ होने से पहले के पूर्व एक कर्मचारी के रूप में नहीं माना गया।
4. मृतक का परिवहन सहित दाह संस्कार, दफनाने अथवा शवदाह गृह की सेवा।
5. जमीन की बिक्री तथा अनुसूची II का पैरा 5(b) के तहत, भवन की बिक्री।
6. लॉटरी, शर्त तथा जुआ के अतिरिक्त कार्यवाहीयोग्य दावा।

[नोटः– किसी चार बिंदु का वर्णन किया जा सकता है]

7. (i) प्रवेश शुल्क के स्वरूप में प्रतिफल के विरूद्ध प्रवेश परीक्षा के जरिये शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान सेवा अधिसूचना संख्या *12/2017 CT (R) दिनांक 28.06.2017* जैसा संशोधित किया, GST से विमुक्त है।

क्योंकि दिये गये मामले में, प्रवेश शुल्क के विरूद्ध प्रवेश परीक्षा के परिचालन के जरिये एक शिक्षण संस्थान Indiana Engineering College द्वारा प्रदान सेवा विमुक्त है, तथा इसलिए इस मामले में GST भुगतानयोग्य नहीं है।

(ii) कृषि उत्पाद का वेयरहाउस में घूमन के जरिये सेवा अधिसूचना संख्या *12/2017 CT (R)* दिनांक *28.06.2017* जैसा संशोधित किया, GST से विमुक्त है। वर्तमान मामले में, क्योंकि Gupta Pest Control Co. गन्ना (कृषि उत्पाद) का वेयर हाउस में धूमन के जरिये सेवा प्रदान करती है, उक्त सेवा विमुक्त है तथा उस पर GST भुगतानयोग्य नहीं है।

8. (i) (a) अधिसूचना संख्या *12/2017 CT (R)* दिनांक *28.06.2017* ने गत वित्तीय वर्ष में ` 20 लाख (विशेष श्रेणी राज्य के मामले में ` 10 लाख की योग टर्नओवर के साथ एक व्यापार इकाई को राज्य सरकार द्वारा प्रदान सेवा को विमुक्त किया। यद्यपि, यह अचल सम्पत्ति के किराये के जरिये सेवा पर लागू नहीं

© The Institute of Chartered Accountants of India

होगा।

दिये गये मामला में, अचल सम्पत्ति के किराये के जरिये सेवा को महाराष्ट्र में पंजीकृत Ganpati Morya Pvt. Ltd. को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया है। इसलिए उपरोक्त विमुक्ति इस मामले में लागू नहीं होगी चाहे पहले के वित्तीय वर्ष में कम्पनी की टर्नओवर ` 20 लाख से कम थी। इसलिए दिये गये मामले में GST भुगतानयोग्य है।

अधिसूचना संख्या *13/2017 CT (R)* दिनांक *28.06.2017* जैसा संशोधित किया है प्रावधान करता है कि केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत एक व्यक्ति को अचल सम्पत्ति का किराया के जरिये राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति सेवा के मामले में रिवर्स चार्ज लागू है। इसलिए वर्तमान मामले में Ganpati Morya Pvt. Ltd. द्वारा GST भुगतानयोग्य है।

(b) अधिसूचना संख्या *13/2017 CT (R)* दिनांक *28.06.2017* प्रदान करता है कि करयोग्य क्षेत्र में स्थित उक्त कम्पनी को कम्पनी के निदेशक द्वारा सेवा की आपूर्ति पर GST रिवर्स प्रभार के आधार पर भुगतानयोग्य है।

इसलिए, दिये गये मामले में, GST के भुगतान के लिए दायी व्यक्ति सेवा का प्राप्तकर्ता अथवा Pvt. Ltd. कम्पनी है।

(ii) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 2(62) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति के संदर्भ में 'इनपुट कर' का अर्थ उसको दी गई वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति पर वसूल केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर अथवा केंद्रीय शासित कर से है तथा इसमें सम्मिलित है–

(a) वस्तुओं के आयात पर वसूल एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर;

(b) धारा 9 की उप–धारा (3) तथा (4) के प्रावधान के अन्तर्गत भुगतानयोग्य कर;

(c) IGST अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) तथा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत भुगतानयोग्य कर;

(d) क्रमशः SGST अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) तथा उप–धारा (4) के पसाधनान के अन्तर्गत भुगतानयोग्य कर; अथवा

(e) UTGST अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3) तथा उप–धारा (4) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य कर,

परन्तु सम्मिश्रण लेवी के अन्तर्गत भुगतान किया गया सम्मिलित नहीं है।

9. (i) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 29(1) प्रदान करती है कि उपयुक्त अधिकारी स्वयं के प्रस्ताव पर अथवा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अथवा इस प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा फाइल आवेदन पर इस प्रकार के तरीके तथा इस प्रकार की अवधि में जैसा निर्धारित किया गया है, परिस्थिति को ध्यान में रखकर पंजीकरण को निरस्त कर सकता है जहां परः

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) व्यापार के बंद कर दिया गया, स्वामी की मृत्यु सहित किसी कारण के लिए पूर्णतः अंतरित कर दिया गया, अन्य कानूनी इकाई के साथ संविलयन कर दिया गया, अविलय कर दिया गया अथवा अन्यथा निपटारा कर दिया गया; अथवा

(b) व्यापार के संविधान में कोई बदलाव है; अथवा

(c) धारा 25 की उप–धारा (3) में पंजीकृत व्यक्ति के अतिरिक्त करयोग्य व्यक्ति धारा 22 अथवा धारा 24 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिए दायी नहीं है।

आगे, CGST अधिनियम, 2017 की धारा 29(2) प्रदान करती है कि उपयुक्त अधिकारी जैसा वह उचित समझे पूर्ववर्ती तिथि सहित इस प्रकार की तिथि से एक व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त कर सकता है, जहां पर–

(a) एक पंजीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के ऐसे प्रावधानों या नियमों का उल्लंघन किया जो निर्धारित किए गए हैं।

(b) धारा 10 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति ने लगातार तीन कर अवधि के लिए विवरणी को जमा नहीं किया; अथवा

(c) वाक्य (b) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी पंजीकृत व्यक्ति ने लगातार छह माह की अवधि के लिए विवरणी को जमा नहीं किया; अथवा

(d) किसी व्यक्ति जिसने धारा 25 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत स्वैच्छिक पंजीकरण लिया है पंजीकरण की तिथि से छह माह के अंदर व्यापार को आरंभ नहीं किया; अथवा

(e) पंजीकरण को धोखाधड़ी, जानबूझकर मिथ्याविवरण अथवा तथ्यों को छुपाने के लिए प्राप्त किया है।

आगे, उपयुक्त अधिकारी सुनने का अवसर दिये बिना पंजीकरण को निरस्त नहीं करेगा।

(ii) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 49(8) क्रमानुसार निर्धारण करता है जिसके अनुसार करयोग्य व्यक्ति को दायित्व का निर्वाहन करना होगाः

(a) गत कर अवधि के लिए स्वयं निर्धारण कर तथा अन्य देय का निर्वाहन पहले करना होगा।

(b) चालू कर अवधि के लिए स्वयं निर्धारण कर तथा अन्य देय का बाद में निर्धारण करना होगा।

(c) एक बार इन दो चरण के समाप्त होने के पश्चात् धारा 73 अथवा धारा 74 के अन्तर्गत निर्धारित मांग सहित भुगतानयोग्य किसी अन्य राशि का निर्वाहन करना होगा। अन्य शब्दों में, मांग नोटिस तथा न्याय निर्णयन कार्यवाही से उत्पन्न दायित्व यदि कोई है तो बाद में आता है। इस क्रम का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अभिव्यक्ति उपरोक्त संदर्भित अन्य देय का अर्थ ब्याज, दंड, शुल्क अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये नियम के अन्तर्गत भुगतानयोग्य किसी अन्य राशि से है।

10. (i) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अन्तर्गत आपूति में

- एक प्रतिफल के लिए सेवा का आयात सम्मिलित है।
- चाहे यदि यह व्यापार के दौरान अथवा बढ़ाने के लिए नहीं है।

इसलिए, यद्यपि सुश्री श्रीनीति कौशिक के द्वारा प्रतिफल के लिए सेय का आयात व्यापार के बढ़ाने के लिए या उसके दौरान नहीं है, क्योंकि वस्तु परामर्श सेवा का निवास के संबंध में प्राप्त नहीं किया, यह आपूर्ति होगी।

(ii) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7, जिसे अनुसूची I के साथ पढ़ा जाये, प्रावधान करता है कि बिना प्रतिफल के बिना भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति से करयोग्य व्यक्ति द्वारा सेवा के आयात को आपूर्ति के रूप में माना जाता है यदि इसे व्यापार के दौरान अथवा बढ़ाने में प्रदान किया जाता है।

दिये गये मामले में, सुश्री श्रीनीति द्वारा अपने भाई श्री वरूण (भाई, उसी परिवार का सदस्य एक संबंधित व्यक्ति है) से प्रतिफल के बिना आयात को आपूर्ति नहीं माना जायेगा क्योंकि यह व्यापार को बढ़ाने या उसके दौरान नहीं है।

(iii) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 जिसे अनुसूची I के साथ पढ़ा जाये प्रदान करता है कि बिना प्रतिफल के भारत से बाहर स्थित संबंधित व्यक्ति से करयोग्य व्यक्ति द्वारा सेवा का आयात आपूर्ति के रूप में माना जाता है यदि इसे व्यापार को बढ़ाने अथवा के दौरान प्रदान किया है।

सुश्री श्रीनीति द्वारा अपने भाई वरूण (भाई जो कि उसी परिवार का सदस्य है संबंधित व्यक्ति है) के द्वारा प्रतिफल के बिना सेवा का आयात को आपूर्ति के रूप में माना जाता है क्योंकि वह अपने व्यापार परिसर के लिए अर्थात् व्यापार के दौरान अथवा बढ़ाने के लिए सेवा प्रदान करती है।

नोटः GST कानून अपनी शैशवास्था में है तथा इसमें कई बदलाव होते है। यद्यपि FAQ अथवा अन्यथा के जरिये पिछले छह माह में कई स्पष्टीकरण को जारी किया है, प्रावधानों में कई की परिवर्तित व्याख्या के कारण कई मुद्दे उठ सकते है। इसलिए लिये गये मत पर निर्भर उपरोक्त प्रश्नों के लिए वैकल्पिक उत्तर संभव हो सकते है।

****

© The Institute of Chartered Accountants of India